

इस्लामी हक़ायक़ नामें

शिया अक़ायद और आमाल मय तफ़्सीलात

इन हक़ायक़ नामों को

www.al-islam.org/nutshell

से लिया गया है।

फेहरिस्त

नम्बर	उनवान	पेज नं०
1	क्या रसूल अल्लाह (स.अ.व.) नें अपना वारिस/जानशीन मुकर्रर फरमाया था ?	3-7
2	रसूल अल्लाह (स.अ.व.) के यह बारह जानशीन कौन है ?	8-14
3	रसूल अल्लाह (स.अ.व.) के खानवादे (अहलेबैत 'अ.स.') की इत्तेबा क्यों की जाये ?	15-20
4	शिया क्यों ?	21-25
5	सही-अल-बुख़ारी में राफिज़ी शिया रावी।	26-30
6	क्या सारे सहाबा आदिल और सच्चे थे ?	30-37
7	क्या शिया किसी मुख़तलिफ़ कुरान पर अक़ीदा रखते हैं ?	38-43
8	शिया ख़ाक (मिट्टी) पर सजदा क्यों करते हैं ?	44-49
9	शिया हज़रात तरावीह की नमाज़ (जमात) से दूरी क्यों रखते हैं ?	50-54
10	शिया नमाज़ों को मिलाकर क्यों अदा करते हैं ?	55-58
11	एक खुतबा जो नुक़तों से आरी है।	59-63

क्या रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने किसी को अपना जानशीन मुकर्रर फरमाया था ?

“ पैग़म्बर उसका ऐलान कर दो जो आपको आपके परवरदिगार की तरफ से आप पर नाज़िल किया गया है, उसे लोगों तक पहुंचा दीजिए। और अगर आपने उसे (अल्लाह) के पैग़ाम को नहीं पहुंचाया तो गोया कोई कारे रिसालत अंजाम नहीं दिया : और अल्लाह तआला लोगों से तुम्हारी हिफ़ाज़त फरमाएगा।

शिया फिरका यह अक़ीदा रखता है कि कुरआन की इस आयत—ए—मुबारक में जिस ऐलान का जिक्र किया गया है, रसूल अल्लाह ने ग़दीर—ए—ख़ुम के रोज़ हज़रत अली इब्ने अबुतालिब (अ.स.) को अपना वसी और जानशीन मुकर्रर करके उस आयत को तकमील अंजाम दिया।

रोज़े ग़दीर क्या हुआ था ?

मक्के से चंद मील के फासले पर मदीना जाने वाले रास्ते पर ग़दीर—ए—ख़ुम नाम की एक जगह है। 18 ज़िलहिज (10 मार्च 632) को जब पैग़म्बरे इस्लाम हज़ करके इस जगह (ग़दीर—ए—ख़ुम) से वापस गुज़र रहे थे तब यह आयत नाज़िल हुई —

ऐ रसूल जो कुछ आप पर नाज़िल किया गया है उसका ऐलान कर दीजिए।

लेहाज़ा इस मक़ाम पर पैग़म्बर उन हाजियों से ख़िताब करने को ठहर गये जो मक्के से आपके साथ—साथ थे और अब जिनको इस मक़ाम से अपनी मंज़िल की तरफ कूच करना था। पैग़म्बर (स.अ.व.) की हिदायत के मुताबिक़ पेड़ों की छाँवों से आपके लिये मिम्बर तैयार किया गया, बाद नमाज़ ज़ोहर आप मिम्बर पर तशरीफ लाये और (अपने विसाल से तीन माह क़ब्ल) लोगों के सबसे बड़े मजमें को खिताब किया।

इस ख़ुत्बे का सबसे अहम मौजू यह था कि पैग़म्बर (स.अ.व.) ने इमाम अली (अ.स.) का हाथ थामकर मौजूद अवाम से मुख़ातिब होकर पूछा कि — “क्या आप तमाम मोमिनीन पर उनके नफ़सों से ज़्यादा हक़ नहीं रखते” तमाम मौजूद लोगों ने एक जुबान में जवाब दिया —

“बेशक ऐसा ही है, या रसूल अल्लाह”।

फिर आपने ऐलान फरमाया — “जिस का मैं मौला हूँ, अली भी उसके मौला हैं। परवरदिगार उसे दोस्त रख जो अली को दोस्त रखे और जो अली का दुश्मन हो उसे दुश्मन रख”।

जैसे ही पैग़म्बर ने अपने इस ऐलान को मुकम्मल किया— कुरआन की यह आयत नाज़िल हुई —

आज हमने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिये कामिल कर दिया और अपनी नेअमतेँ तुम पर तमाम कर दीं और तुम्हारे लिये दीने इस्लाम को पंसद किया।

इस खुतबे के बाद पैगम्बरे इस्लाम ने सबसे हज़रत अली अ.स. की बैअत करने और उन्हें मुबारकबाद पेश करने को कहा। जिन्होंने बैअत की उनमें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब भी थे। जिसने कहा “ऐ अली इब्ने अबुतालिब मरहबा मुबारक हो आज से आप तमाम ईमान वाले मर्दों और औरतों के मौला करार पाए ”।

ग़दीर-ए-ख़ुम का वाक्या सुन कर एक अरब पैगम्बर-ए-इस्लाम के पास आया और कहने लगा “आपने हमें हुक्म दिया कि कोई माबूद नहीं है सिवाए अल्लाह के और आप उस अल्लाह के रसूल हैं। हमने आपका हुक्म माना, आपने हमें पाँच वक़्त की नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और हमने इत्तेबा की। आपने हमें रमज़ान में रोज़े का हुक्म दिया हमने इताअत की। आपने हमको हज के लिये मक्का जाने को कहा हमने इसे भी माना। मगर आप इस सब पर राज़ी न हुये और आज आपने चचाज़ाद भाई हाथों पर बुलन्द करके उनको हमारा मौला बना कर यह कहा कि “जिस का मैं मौला उसका अली मौला” क्यों यह नया हुक्म अल्लाह की जानिब से है या आपकी तरफ से ? पैगम्बरे इस्लाम ने फरमाया —

“अल्लाह की तरफ से जोकि वाहिद है और माबूद है। ये कादिर और जल्लेजलालहु की तरफ से है ” यह जवाब सुनकर हव अरब वापस मुड़ा और अपनी ऊँटनी की तरफ यह कहता हुआ चला “या अल्लाह अगर मुहम्मद ने जो कहा है वह सच है तो मुझ पर आसमान से पत्थर बरसा और षदीद तकलीफ और अज़ाब नाज़िल कर”। वह अपनी ऊँटनी तक भी नहीं पहुँच पाया था कि अल्लाह की तरफ से उस पर पत्थर नाज़िल हुआ जो उसके सिर पर पड़ा और उसके जिस्म को चीरता हुआ उतर गया और वह हलाक हो गया। ये वह मौका था जिस पर अल्लाह सुबहानहू तआला ने अय आयत नाज़िल फरमाई —

“एक सवाल करने वाले ने सवाले अज़ाब किया जोकि नाज़िल हुआ। यह अज़ाब मुनकरीन के लिये है और कोई भी षख्स इसे दफ़ा नहीं कर सकता । यह अल्लाह की तरफ से है। (अल-कुरआन 70:1-3)

क्या उलमाए अहले सुन्नत इस वाक्ये को मुस्तनद तसलीम करते हैं ? तफसीली और मुख्तसर तौर पर दोनों तरह इस वाक्ये को जितने अहले सुन्नत रावियों ने बयान किया है वह हैरत अंगेज़ है। पहली सदी हिजरी से लेकर 14वीं सदी तक सातवीं सदी ईसवी से लेकर बीसवीं सदी ईसवी तक इस तारीखी वाक्ये को 110 सहाबा-ए-कराम और 84 ताबाईन और आलमें इस्लाम के सैकड़ों ओलमा ने रिवायत किया है।

यह आदाद व षुमार फक़त उन रावियों के है जिनकी रिवायत ओलमाए अहले सुन्नत के पास महफूज़ है। उनमें से कुछ ज़राये का इंतखाब यहाँ पेश है। इनमें से अक्सर

ओलमा न सिर्फ पैगम्बर-ए-इस्लाम के ऐलान का जिक्र करते हैं बल्कि उसे मुस्तनद भी मानते हैं।

- अल हाकिम अलनिशापुरी, अल मुस्तदरक अला अल सहीहैन (बैरुत) जिल्द-3, सफा-109,110, पेज 133,148, 533 नें वाजेह तौर पर इस हदीस को अल बुखारी, अल मुस्लिम के मेयार पर सही करार दिया है। अल-जहबी नें इसकी तस्दीक की है।
- अल-तिरमिदी सुनन मिस्र, जिल्द-5, सफा-633।
- इब्ने माजा, सुनन (मिस्र 1952) जिल्द 1, सफा 45।
- इब्ने हजर अल-असकलानी फत्हा अल बारी बी षरह सहीह अल बुखारी (बैरुत 1988) जि0-7, सफा-61,
- अल आईनी, अम्दतुल क़ारी षरह सहीह अल बुखारी जि0-8, पेज-584
- इब्ने अल असीर, जामिउल उसूल, -आइ 277, नम्बर 65
- अल सुयूती अल दुरुल मन्सूर, जि0-2, स0-259, 298
- फखरुद्दीन अल राज़ी, तफ़सीर अल कबीर (बैरुत 1981) जि0-11, पेज-53
- इब्ने कसीर, तफ़सीर अल कुंरान अल अज़ीम (बैरुत) जि0-2, पेज-14
- अल-राहिदी, असबाब-ए-नुजूल, पेज-164
- इब्ने असीर, असदउल गाबाह माअरफा-तल-सहाबा, (मिस्र) जि0-3, पेज-92
- इब्ने हजर अल-असकलानी, तहज़ीब अल तहज़ीब (हैदराबाद 1325) जि0-7, पेज-339
- इब्ने कसीर, अल बदाइयाह वन्नहाइयाह (मिस्र 1932) जि0-7, पेज-340, जि0-5, पेज213
- अलतहावी, मुश्किल अलअसार, (हैदराबाद-1915), जि0-2, पेज-308, 309
- नूरउद्दीन अलहलबी अशाफ़ई, अलसीरतुल हलबियाह, जि0-3, पेज-337
- अज़क़ानी, षरहअल मवाहिब अल लदिनियाह, जि0-7, पेज-13

मगर क्या लफ़्ज़-ए-मौला का मतलब दोस्त नहीं ?

हालांकि हर दौर ओर हर नज़रिये से ताअल्लुक रखने वाले बहुत बड़ी तादाद में अहले सुन्नत उलेमा हज़रात ने रसूल अल्लाह (स.अ.व.) के अल्फाज़ और इस तारीखी वाक्ये की तसदीक की है। मगर बादे विसाल पैगम्बर-ए-क्या हुआ उन हालात और इस वाक्ये में तालमेल पैदा करने में उन्हें बहुत मुश्किल दरपेश आई है। उन वाक्यात में तफसीली जिक्र इस मुख्तसर सी तहरीर में करना यहाँ गुंजाइश नहीं रखता, मगर अहम बात यह है कि बहुत से अहले सुन्नत ओलमा ने यह दावा किया है कि इस ऐलान से पैगम्बर-ए-इस्लाम का मक़सद अली (अ.स.) को महज़ मुसलमानों का दोस्त और मददगार होने का ऐलान करना था ?

इस वाक्ये में कई और ऐसे पहलू भी हैं जो ये ज़ाहिर करते हैं कि — इस वाक्ये की अहमियत उससे कहीं ज़्यादा है जो ऊपरी तौर पर नज़र आती है। मसलन—मुख्तलिफ़ आयाते कुरआनी का नुज़ूल, मुसलमानों का एक बड़ा हुजूम पैगम्बर की हयाते तय्यबा का आखिरी दौर, लोगों का इक़रार करना कि पैगम्बर उन पर बरतरी रखते हैं, ऐलान के बाद हज़रत उमर का मुबारकबाद पेश करना, इस के अलावा और वह बहुत से पहलू जिनका यहाँ इस मुख्तसर दस्तावेज़ में बयान करना मुमकिन नहीं है। मगर बिल आखिर सारे के सारे वाक्यात से हय हकीकत वाज़ेह होती है कि यह वारिस/जानशीन-ए-पैगम्बर (स.अ.व.) मुक़र्रर करने की तक़रीब थी। यह भी वाज़ेह है कि लफ़्ज़े मौला (दौरे नबवी के बाद) मुकम्मल हाकीमियत और विलायत के मानी में इस्तेमाल होता है और इसमें ज़ाहिरी हुकूमत भी शामिल थी।

हर्फ़ आखिर

अगर इस वाक्ये (ऐलान) की तारीखी अहमियत में अभी भी कोई षुब्हा बाकी हो या उन लोगों की कोशिशें जिन्होंने इसे छिपाने की कोशिश की है तो इस सिलसिले में बतौर हर्फ़ आखिर इस वाक्ये को मुलाहिज़ा फरमाएं—

अपने दौरे ख़िलाफ़त में जोकि ग़दीर के वाक्ये के काफी अर्सा बाद की बात है, जब इमाम अली (अ.स.) ने सहाबिये रसूल अनस बिन मालिक से फ़रमाया “तुम क्यों ख़ड़े होकर उसकी गवाही नहीं देते जो तुमने ग़दीर के रोज़ रसूल अल्लाह से सुना था ?” मालिक ने जवाब दिया “ऐ अमीरुल मोमिनीन ! अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ इस लिये याद नहीं रहा” इस पर अली (अ.स.) ने फरमाया “अगर तुम जानबूझ कर हक़ की पर्दापोशी कर रहे हो तो ऐ अनस! अल्लाह तुम्हारे चेहरे को सफ़ेद धब्बे से (बर्स) से दाग़ दे जो तुम्हारे अमामे से भी छुपाए न छुपे” अनस अपनी जगह से अभी उठ भी नहीं पाया था कि उसके चेहरे पर एक बड़ा सफ़ेद दाग़ ज़ाहिर हो गया था।

1. इब्ने कोतेबा अल दीनावरी, किताब अल मआरिफ़ (मिस्र-1353) पेज-251
2. अहमद बिन हम्बल, अल मुसनद, जि0-1 पेज-119
3. अबु नौअएम अल इस्फ़हानी, हिल्यात अल औलिया (बैरुत 1988) जि0-5, पेज-27

4. नूर अल-दीन अल हलवी अल षाफी, अल सिरातल अल हलबिया, जि0-3 पेज-337
5. अल-मुत्तकी अल हिन्दी, कन्ज़ुल अम्माल, (हलब, 1969-84) जि0-13, पेज-131

पैग़म्बर के ये बारह जानशीन कौन हैं?

जाबिर इब्ने समूरा से रिवायत है कि, “मैंने पैग़म्बरे इस्लाम को कहते हुए सुना कि मेरे बाद “मेरे बारह जानशीन होंगे।” उसके बाद उन्होंने (रसूल अल्लाह) ने एक जुमला इरशाद फ़रमाया जिसे मैं (जाबिर) नहीं सुन सका। मेरे वालिद ने कहा कि आपने (पैग़म्बरे इस्लाम) आगे कहा “वह सबके सब कुरैश से होंगे।”

रसूलल्लाह ने इरशाद फ़रमाया! “दीने इस्लाम रोज़े क़यामत तक बाकी रहेगा और इसमें तुम्हारे लिए बारह पेशवा होंगे जो कि सब के सब कुरैश से होंगे।”²

अहले सुन्नत उलेमा क्या कहते हैं?

इब्ने अल आराबी

पैग़म्बरे इस्लाम के बाद हमने बारह उमरा को शुमार किया और हमने दरज जैल को पाया।

अबूबक्र, उमर, उस्मान, अली अ0स0, हसन अ0स0, माविया, यज़ीद, माविया इब्ने यज़ीद, मरवान, अब्दुल मलिक इब्ने मरवान, यज़ीद बिन अब्दुल मलिक मरवान बिन मोहम्मद बिन मरवान, अलसफ़ाह। इसके बाद बनी अब्बास से 27 खुलाफ़ा थे।

अब अगर इनमें से हम शुमार करें तो सिर्फ़ सुलैमान तक ही पहुँच सकते हैं। और अगर हम इसके लुग़वी मायने पर जाये तो उनमें से फ़क़त पांच हैं जोकि चार खुलफ़ाए राशिदीन और एक उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। मैं इस हदीस का मतलब नहीं समझ सका।³

काज़ी अयाज़ अल यहसूबी।

खुलाफ़ा की तादाद इससे ज़्यादा है। इनकी तादाद को 12 तक महदूद करना मुनासिब नहीं है। पैग़म्बरे इस्लाम ने यह नहीं फ़रमाया था कि वह

सिर्फ 12 ही होंगे और इसके बाद मज़ीद के लिए कोई गुन्जाईश नहीं होगी लिहाज़ा यह मुमकिन है कि खुलाफ़ा इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं।

4

जलालउददीन अल सुयूती

रोज़े जज़ा/क़यामत तक सिर्फ़ बारह खलीफ़ा है और यह हक़ पर अमल करते रहेंगे चाहे यह सिलसिले वार हो या न हो, तो भी ।

हम यह देखते हैं कि बारह में से चार बरहक़ खुलफ़ा है। फिर हसन अ0स0, मुआविया, फिर इब्ने जुबैर और आख़िर में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। इनको मिलाकर आठ होते हैं और चार बाकी रहते हैं । मुमकिन है कि मेहदी जो कि अब्बासी है उनको शामिल किया जा सकता है जैसे कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, बनी उमय्या से था। फिर ताहिर अब्बासी को भी शामिल किया जाएगा क्योंकि वह एक आदिल बादशाह था। लिहाज़ा दो और की आमद बाकी है। उनमें से एक मेहदी अ0स0 है क्योंकि वह अहलेबैत में से है। 5

इब्ने हजर अल असक़लानी

सहीह बुख़ारी की इस हदीस की किसी को भी ज़्यादा मालूमात नहीं है । यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि यह सारे के सारे इमाम बा एक वक़्त मौजूद होंगे । 6

इब्ने अल जवाज़ी

बनी उमय्या का पहला ख़लीफ़ा यज़ीद बिन मुआविया और आख़री मरवान अलहिशार था।

इनकी कुल तादाद तेरह है। उस्मान ,माविया, और इब्ने जुबैर को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्योंकि यह रसूलल्लाह के सहाबा में से थे ।

इसमें से अगर हम मरवान बिन अलअहकम को इस सिलसिले से इस तनाजे की बिना पर बाहर शुमार करें कि वह पैगम्बर के सहाबा में से था या इसलिए कि अब्दुल्लाह बिन जुबैर के पास अवाम की हिमायत होने के बाद भी वो मरवान (इकतेदार) में था तो हम बारह के अदद को हासिल कर सकते हैं।

जब खिलाफत बनी उमय्या से बाहर निकली तो बहुत दुश्वारियां उठ खड़ी हुईं। यहां तक कि बनी अब्बास ने खुद को मजबूती से जमा लिया। इस तरह हालात पूरी तरह से तब्दील हो चुके थे।

1. सहीह अल बुखारी (अंग्रेजी) हदीस 9329 किताबुल अहकाम, सहीह अल बुखारी अरबी(4:165) किताबुल अहकाम
2. सहीह मुस्लिम (अंग्रेजी) बाब DCCL IV, जि0 3, पेज 1010, रिवायत नं0 448, सहीह मुस्लिम (अरबी) किताब अल अमारा 1980 सऊदी अरबीया एडिशन जि0 3, सफा 1453, हदीस नं0 10
3. इब्ने अल अराबी, शराह सुनन तिरमिदी, 9:68–69
4. अल नबवी शराह सहीह मुस्लिम, 12:201–202, इब्ने हजर अल अस्कलानी फतहा अल बारी, 16:339
5. अल सुयूती, तारीख अल खुलफा, सफा 12, इब्ने हजर अल हैयतमी, अल सवाइक अल मोहरिका पेज 19
6. इब्ने हजर अल अस्कलानी फतहा अल बारी, 16:338–341
7. इब्ने अल जौजी, कशफ अल मुश्किल, जैसा कि इब्ने हजर अल अस्कलानी ने ब्यान किया फतहा अल बारी, 16:340, सिब्ने इब्ने अल जवाजी से।

अलनबवी

इससे ये भी मुराद हो सकती है कि यह बारह इमाम इस्लाम के दौर-ए-बलन्दी व अज़मत में होंगे। वह दौर जब कि इस्लाम एक अज़ीम मज़हब होगा। यह ख़लीफ़ा, आईम्मा अ० स० अपने अज़ ज़माना इस्लाम को सरबलन्द करेंगे। 1

अलबैयहकी

यह बारह का अदद वलीद इब्ने अब्द अल मलिक के ज़माने तक मिलता है। इसके बाद हंगामी हालात और मुश्किल दौर था। इसके बाद अब्बासी दौर-ए- हुकूमत आया। इस नतीजे ने इमामों की तादाद में इज़ाफ़ा कर दिया। इस हंगामा आराई वाले दौर की चंद बातों को अगर नज़रअन्दाज़ कर दे तब यह आदाद कहीं ज़्यादा हो जाते हैं। 2

इब्ने कसीर

जो कोई भी बेहक्की से इत्तेफ़ाक़ रखता है कि हदीस में मज़कूरा बारह खुलाफ़ा से मुराद वह खुलाफ़ा है जो एक सिलसिलेवार वलीद बिन यज़ीद बिन अब्द अल मलिक फ़ासिक के ज़माने तक आए तो यह हमारी नक़ल की हुई इस हदीस के दायरे में आता है जिसमें ऐसे लोगों पर तनकीद और मज़म्मत की गई है।

और अगर हम इब्ने जुबैर की खिलाफ़त को अब्द अल मलिक से पहले मान लें तो यह तादाद सोलह हो जाती है। जबकि उमर इब्ने अब्दुल अज़ीज़ से कबूल इनकी तादाद बारह होनी चाहिए। इस तरीक़ेकार से यज़ीद इब्ने माविया को शुमार किया जायेगा ना कि उमर इब्ने अब्द अल अज़ीज़ को। बहरहाल इस बात पर अक्सर उलेमा इत्तेफ़ाक़ करते हैं कि उमर इब्ने अब्द अल अज़ीज़ एक आदिल और हक़परस्त खलीफ़ा था।³

क्या आप उलझ कर रह गये?

हमें एक और सुन्नी आलिम की ज़रूरत है यह जानने और समझने के लिए कि दरअसल यह बारह जानशीन खुलफ़ा, अमीर और इमाम दर हकीक़त कौन हैं?

मशहूर आलिम अलज़हबी, तज़किरात उल हिफ़ाज़ जिल्द 4 सफ़ा 298 में और इब्ने हजर अल अस्क़लानी अल दुरार अल कामेनह जि0 1 सफ़ा 67 में रिवायत करते हैं कि सदरुद्दीन इब्राहिम बिन मोहम्मद बिन अल हमावयाह अल जुवयानी अल शाफ़ई हदीस के एक बहुत मशहूर और अज़ीम आलिम थे। यही अल जुवयानी अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह स0 अ0 ने फ़रमाया है, कि “मैं सरदारे अम्बिया व मुरसलीन हूँ और अली इब्ने अबूतालिब जानशीनो और वसीइन के सरदार हैं। और मेरे बाद मेरे बारह जानशीन होंगे जिन में से पहले अली इब्ने अबी तालिब और आखरी अल महदी हैं।”

अल जुवैनी, इब्ने अब्बास से ये भी रिवायत करते हैं कि रसूलल्लाह ने फरमाया— “यकीनन मेरे बाद मेरे खुलफ़ा और मेरे नायबीन, अल्लाह की मख़लूक़ पर उसकी हुज्जत बारह हैं । इनमें से पहला मेरा भाई और आख़री मेरा बेटा होगा (जो कि मेरी औलाद में से होगा) आप अ0 स0 से पूछा गया “ऐ अल्लाह के रसूल आप का भाई कौन है? आप ने फरमाया, “अली इब्ने अबी तालिब ”

फिर उन्होंने पूछा ,“और आप का बेटा कौन है ” रसूलल्लाह ने फरमाया ,“मेहदी ! वह जो इस ज़मीन को इन्साफ़ और अदल से उसी तरह भर देगा जैसे वो जुल्म और ज़ौर से भरी हुई होगी । और क़सम उसकी जिसने मुझे ख़बरदार करने वाला और खुशख़बरी देने वाला बना कर भेजा ,अगर इस दुनियाँ का एक दिन भी बाकी होगा तो अल्लाह जो हर शय पर कादिर है उस दिन को इतना तूलानी कर देगा कि मेरे बेटे मेहंदी का ज़हूर हो जाएगा फिर अल्लाह ईसा इब्ने मरयम अ0स0 को ज़मीन पर नाज़िल करेगा और वह मेरे फरज़न्द मेहंदी के पीछे नमाज़ अदा करेंगे और ज़मीन इनके नूर से मुनव्वर हो जाएगी और उसकी हुकूमत मग़रिब से लेकर मशरिक़ तक फैल जाएगी ।”

अलजुवैयनी यह भी रिवायत करते हैं कि पैग़म्बरे इस्लाम ने यह भी फरमाया कि “मै, और अली, हसन और हुसैन अ0 स0 के नौ वारिस पाक और पाकीज़ा हैं और हर ख़ता से दूर हैं ।”

इस्लामी फ़िक़ रखने वाले तमाम फिरको में महज़ शिआ इमामिया अस्ना ए अशरी (बारह इमामो के मानने) वाले इन बारह शख़्सियतों को रसूलल्लाह का हकीकी जानशीन तसलीम करते हैं और इन्ही के ज़रिये से मज़हबे इस्लाम की तालीम और मारेफ़त हांसिल करते हैं ।

हवाले

1 अलनबवी . शरह...सहीह मुस्लिम 12,202,203

2 इब्ने कसीर तारीख़ 6,24,9अल स्योती , तारीख़ अल खुलफ़ा सफ़ा 11

3 इब्ने कसीर तारीख 6 24 9 250

4 अल जुवयनी फराइज़ अल सिब्तैन मुअस्सरात अल महमूदी ली तबाह ,
(बैरुत 1978) सफा 160 ।

आले रसूल की पैरवी/इत्तेबा क्यों की जाए?

बिला शुब्हा अल्लाह तो यही चाहता है कि वह आप अहले बैत से हर तरह की नजासत को दूर रखें और आप को ऐसे पाक रखें जैसे पाक रखने का हक है।

(आयते तत्हीर 33:33)

पैगम्बर ए इस्लाम स०अ०व०व० से उनके सहाबा ने पूछा “हम आप पर दुरुद किस तरह भेजा करें? आप ने फ़रमाया —” कहो: ऐ अल्लाह ! मुहम्मद और उनकी आल पर दुरुद भेज वैसे जैसे तूने इब्राहिम और उनकी आल पर दुरुद भेजा। बेशक तू लायके तारीफ़ और अज़मत वाला है।”

(सहीह अल बुख़ारी, जिल्द 4, बाब 55, नम्बर 589)

शिओ का यह अक्कीदा है कि पैगम्बर रसूल अल्लाह (स०अ०) की इतरत कुरआन और अहले बैअत (खानदान ए रिसालत) के चुनिंदा अफ़राद हैं। रसूल अल्लाह की सुन्नत का मोअतबर ज़रिया भी यही अहले बैअत ही है। सिर्फ़ इन्ही दो से अहकामात हासिल करके एक मुसल्मान हकीकी तौर पर हिदायत मिलने की उम्मीद कर सकता है।

रसूले अकरम की मीरास

अनकरीब ही मैं तुम्हारे दरम्यान से रूखसत होने वाला हूँ। यकीनन मैं अपने पीछे तुम्हारी दरम्यान दो गरां क़द्र चीज़े छोड़े जा रहा हूँ। एक किताबे खुदा और दूसरे मेरे अहले बैअत। बेशक ये हरगिज़ एक दूसरे से जुदा ना होंगे यहाँ तक कि हौज़ ए कौसर पर वह मुझसे वापस आ मिलें।”

रसूल अल्लाह की इस मुस्तनद हदीस को उनके तीस से ज़्यादा सहाबियों ने रिवायत किया है और ओलामाए अहले सुन्नत की एक बड़ी तादाद है जिसने दर्ज किया है। इस हदीस के चन्द मशहूर और नामी गिरामी हवालों में दरजाजैल शामिल है।

- अलहाकिम अल नयसाबुरी, अल मुस्तदरक अला अल सही हैन (बेरुत) जिल्द 3, पेज नम्बर 109—110, 148 व 533 वह खुलकर बयान करते हैं कि यह रिवायत अल बुख़ारी और मुस्लिम दोनों ही के मेयार पर मुस्तनद है। अल ज़हबी ने इस फैसले को सही क़रार दिया है।

- मुस्लिम, अल सहीह (अंग्रेजी तर्जुमा) बाब 31, शुमार 5920—3
- अल तिरमिदी, अल सहीह, (जिल्द 5, पेज 621—2, शुमार 3786 और 3788 जिल्द 2, पेज 219)
- अल नसाई, (ख़साईस अली इब्ने अबी तालिब, हदीस नं० 79)
- अहमद बिन हम्बल, अल—मसनद, Vol 3, P14, 17,26; Vol 3, P26,59; Vol 4, P 371; Vol 5, P181-2, 189-190
- इब्ने अल असीर जामीअल उसूल Vol 1, P277,
- इब्ने कसीर अल विदायह व अल निहायह Vol 5, P209,
वह अल ज़हबी का हवाला देते हैं और इस हदीस से सही होने का एलान करते हैं।
- इब्ने कसीर तफसीर अल कुआन अल अजीम Vol 6, P199,
- नसीर अलदीन अल अलबानी, सिलसिलतुल अल अहादीसअल सहीहा (कुवैत अलदार अल सलाफिया) Vol 4, P355-8, रावी बहुत सारी रिवायतों के एक सिलसिले को ज़िक्र करता है जिसे वह मुस्तनद जानता है।
- इस हदीस के और भी हवाले मौजूद हैं जिन्हे यहाँ मज़ीद पेश कर पाना मुमकिन नहीं है।

क्या रसूल अल्लाह ने नहीं फरमाया है कि “मैं अपने बाद किताबे खुदा और अपनी सुन्नत छोड़े जा रहा हूँ?”

यह एक आम गलतफहमी है। सच्चाई यह है कि इस बात की कोई पुख्ता बुनियाद नहीं है कि जिससे रसूल अल्लाह के आखरी खुत्बे और इस कौल को एक दूसरे से मंसूब माना जाए। यानि इसकी कोई काबिले एतमाद बुनियाद नहीं है यह कौल सहाह सता में से किसी में भी मौजूद नहीं है। मालिक की मुवत्ता इब्ने हिशाम की सिरातअल रसूलल्लाह और तारीख ए तबरी सबकी सब में पाई जाने वाली बाज़ रिवायतों की असनाद नामुकम्मल है। जिनमें पूरे सिलसिले में कई कड़ियाँ नामौजूद हैं। दूसरी कुछ और रिवायते जिनमें असनाद मौजूद है, जो कि बहुत कम हैं उन सबके रावी अहले सुन्नत ओलमाए रिजाल के मुताबिक इंतहाई नाकाबिले एतबार हैं।

इस ग़ैर मामूली हकाएक की यकीन दहानी वह अफराद, जिन्हे तहकीक में दिलचस्पी है मुतालका किताब का मुतालेहा करके कर सकते हैं। यहाँ वाज़ेह तौर पर यह याद रहे कि यह मशवरा हरगिज़ नहीं दिया जा रहा है कि सुन्नते रसूल (स0अ0) की पैरवी ना की जाए। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि पैगम्बरे इस्लाम मुसलमानों के लिए यह चाहते हैं कि मुसलमान अहले बैअत की तरफ़, आप (स0अ0) की सुन्नत के काबिले एतबार, ख़ालिस और ग़लती से पाक मम्बा के तौर रुजूअ करें।

जब यह आयत नाज़िल हुई “ ऐ रसूल कह दीजिए कि मैं अल्लाह का पैगाम पहुचाने का और कोई उज़्र नहीं तलब करता सिवाए मेरे अकरबा से मुहब्बत के।” (42:23) तो मुसलमानों ने पैगम्बर (स0अ0) से पूछा “आपके कराबतदार कौन हैं जिनकी मुहब्बत हम पर फर्ज़ है?” आप ने जवाब दिया “ अली, फ़ातिमा, और उनके दो बेटे।”

- अलहाकिम अल नयसाबूरी, अल मुस्तदरक अल आल सहीहैन Vol 2, P444
- अल क़स्तलन्नानी, इरशाद अल सारी सराह, सही अल बुखारी Vol 7, P331
- अल सयूती अल दुर् अल मंसूर Vol 6, P6-7
- अल अलूसी अल बग़दादी, रूह उलमअनी, Vol 25, P31-2

अहलेबैअत के मकाम, फज़ीलत और हक़कानियत की और तस्दीक कुरआन के ज़रिये नसरान के ईसाइयों के साथ इख़्तिलाफ़ के दौरान हुई थी जब यह आयत नाज़िल हुई, "लेकिन कोई भी आपसे इस सिलसिले में आपके पास इल्म आ जाने के बाद आप से झगड़ा करे तो आप कह दें: आओ हम अपने बेटों को बुलाते हैं तुम अपने बेटों को बुलाओ, हम अपनी औरतों को और तुम अपनी औरतों को, हम अपने कराबतदारों को बुलाते हैं और तुम अपने कराबतदारों को! फिर दोनों फ़रीक अल्लाह से दुआ करें के हममें से जो झूठा है उस पर अल्लाह की लाअनत हो "(3:61) रसूलअल्लाह ने अली, फ़ातिमा, हसन और हुसैन को बुलाया और फरमाया, "ऐ अल्लाह ये मेरे ख़ानदान वाले (अहल) हैं।

हवाले

- मुसलिम अल सहीह (अंग्रेजी तर्जुमा) बाब 631 नं० 5915
- अल हाकिम अल नयसाबुरी, अल मुस्तदरक अलाअल सहीसैन Vol 3, P150 वह कहते हैं कि यह बुख़ारी और मुस्लिम में मेआर के मुताबिक सही है।
- इब्ने हजर अल असक़लानी, फ़तहअलबारी, शरह सहीह अल बुख़ारी Vol 7, P6-60
- अल तिरमिदी, अल सहीह, किताब अल मनाकिब Vol 5, P6-596
- अहमद बिन हम्बल, अल मुसनद Vol 1, P185
- अल सुयूती, तारीख़े ख़ुलफ़ा जिन्होंने सही राह चुनी (लन्दन 1995 पेज 176)

क्या अहलेबैअत (अ०) का एहतेराम काफ़ी नहीं है?

क्या महज़ कुरआन का एहतराम करना काफ़ी है?

यकीनन अपने तमाम मामलात में मुसलमानों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि वो हिदायत ए आला के तौर पर कुरआन की इत्तेबा करें। हज़रत मोहम्मद (स० अ०) से अपनी विरासत के तौर पर मुसलमानों के लिए दो चीज़ें छोड़ गए हैं और ये वादा कर गए हैं कि यह दोनों रोज़े आख़ेरत तक हरगिज़ एक दूसरे से जुदा ना होंगे।

अहले बैअत अ० को कुरआन के साथ मुत्तसिल करके आप स०अ०व०व० ने हमें यह बताया है कि सिर्फ उनका एहताराम ही काफी नहीं है बल्कि उनसे इस्लामी नज़रियात, आमाल, हदीस और तफसीर की वजाहत भी हासिल करनी चाहिए।

देखों! “मेरे अहले बैअत की मिसाल कशती ए नूह की मानिन्द हैं। जो इस पर सवार हो गया वह निजात पा गया और जिसने इनसे मुंह मोड़ा वह ग़र्क हो गया।”

हवाले

- अल हाकिम अल नयसाबुरी, अल मुस्तदरक अलाअल सहीहैन Vol 3, P151 व Vol 2, P348
उनका बयान है कि मुस्लिम के मेआर के मुताबिक यह सही हदीस है।
- अल सयूती अल दुर् अल मंसूर Vol 1, P71-72
- इब्ने हजर अल मक्की, अल सवाईक अल मोहरिक P140
उनके मुताबिक यह रिवायत कई रावियान के सिलसिले से पहुची है जो कि एक दूसरे को मज़बूत बनाते हैं?

अहले बैअत में कौन शामिल है?

ये देखा जा चुका कि पैगम्बरे इस्लाम के खानदान को मुख्तलिफ मक़ामात पर अहले बैअत, इतरत और आल के तौर पर जाना जाता है जिनमें आप की बेटी जनाबे फ़ातिमा ज़हरा स०अ०, उनके शौहर इमाम अली अ०स० और उनके बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन अ०स० शामिल हैं। पांच लोगों के इस खानदान के यह लोग जिसके सरपरस्त खुद पैगम्बरे इस्लाम थे, उस वक्त बाहयात थे जिस वक्त इनकी फज़ीलतो के सिलसिले में रसूलअल्लाह पर आयतों का नुज़ूल हो रहा था। हालांकि इमाम हुसैन अ०स की औलाद में से नौ अइम्मा भी इस मुन्तख़ब खानवादे में शामिल है, जिनमें आखरी इमाम मेहदी अ०स० हैं।

पैगम्बरे इस्लाम में फरमाया—

“मैं, अली, हसन ओ हुसैन और हुसैन की औलाद में से नौ आइम्मा ताहिर और माअसूम हैं। अल जुबैयनी, फराईज़ अल सिबतैन (बेरुत 1978) पेज 160 याद रहे कि जुबैयनी की अज़मत बहैसियत एक आलिम अलज़दी की

तजक़िरात अल हुफाज जिल्द 4 पेज 298 और इब्ने हजर अल असकलानी ने अलदुररल अल कामेनह जिल्द 1 पेज 67 में बयान की है।

- मैं सरदार ए अंबिया हूँ और अली इब्ने अबूतालिब मेरे जानशीनो के सरदार हैं और मेरे बाद मेरे बारह जानशीन होंगे जिनमें से पहले अली इब्ने अबूतालिब अ0स0 और आखरी अल मेंहदी हैं।”
- मेहदी हम अहलेबैअत में से हैं और मेंहदी मेरे खानदान से होगा, फातिमा की औलाद में से होगा। (इब्ने माजह, अल सुनान जिल्द 2, पेज 519 शुमारा 4085—86) अबू दारुद अल सुनान, जिल्द 2 पेज 207

अज़वाज़ ए रसूल स0अ0व0व0 के सिलसिले में क्या है।?

आयते तत्हीर —“बेशक अल्लाह तो यही चाहता है।.....” के नुज़ूल रसूलअल्लाह पर उनकी ज़ौजह उम्मे सलमा (खुदा उन पर रहमत नाज़िल करें) के घर में हुआ। पैगम्बर ने इमाम हसन और ईमाम हुसैन अ0स0 फ़ातिमा स0अ0 और अली अ0स0 को बुला कर जमा किया और चादर उढ़ा दी। फिर फरमाया —“ ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैअत हैं। बस, अहले बैअत से हर नजासत को दूर रख और उन्हें पाक कर दे कामिल तत्हीर के ज़रिये से।”

उम्मे सलमा ने पूछा,“ऐ रसूले खुदा, क्या मैं भी उन में शामिल हूँ?” रसूल अल्लाह ने फरमाया —“तुम अपने मकाम पर रहो और तुम ख़ैर पर हो।”

- अल तिरमिदी, अल सहीह जिल्द 5, पेज 351 और 663.
- अल हाकिम अल नयसाबुरी, अल मुस्तदरक अला अल सहीहैन, जिल्द 2, पेज 416. इनका ब्यान है कि बुखारी के मेयार पर यह सही है।
- अल सुयूती, अल दुर अल मन्सूर, जिल्द 5, पेज 197.

आयत नं0 33:33 की इब्तेदा और उसके बाद में आने वाले बयानात में पैगम्बरे इस्लाम की बीबीयों को मुख़ातिब किया गया है। जैसा कि मोअन्नस (Pronoun) से ज़ाहिर होता है। जबकि आयत ए तत्हीर में जिन्स मोअन्नस से मज़कर या मरकब में तब्दील हो जाती है। इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि यह एक बिल्कुल अलहदा आयत थी जिसमें मुख़्तलिफ़ लोगों को मुख़ातिब किया गया है।”

आखिर शिआ क्यों?

सब मिलजुलकर एक साथ अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो। और जुदा-जुदा मत रहो एक दूसरे से। (अल कुरआन 3:103)

जो मुसलमान पैग़मबर के खानदान में शामिल अईम्मा ए मासूमीन अ0स0 की इत्तेबा और पैरवी करते हैं शिआ लफ़्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल का मक़सद फ़िरकाबन्दी या मुसलमानों में आपस में नाइत्तफ़ाकी फैलाना नहीं है। बल्कि इसके इस्तेमाल की वजह यह है कि यह लफ़्ज़ कुरआन इस्तेमाल करता है, पैग़म्बर ने किया और अव्वलीन मुसलमानों ने यह लफ़्ज़ तब इस्तेमाल किया के जब सुन्नी और सलफ़ी जैसे अलफ़ाज़ वजूद में भी नहीं आए थे।

शिआ कुरआन में

लफ़्ज़े शिआ के मानी है किसी ग़िरोह के अरकान या पैरोकार। अल्लाह तआला ने अपने कुछ नेक बन्दों का कुरआन में ज़िक्र किया है जो दूसरे नेक बन्दों के शिआ थे।

“और यकीनन इब्राहीम अ0स0 उसके (नूह) के शिओं में से था। अलकुरआन (37:83)

और वह मूसा ऐसे वक्त शहर में दाखिल हुआ जबके अहले शहर ग़ाफ़िल थे, तो वहां उसने दो लोगों आपस में झगड़ते देखा। इसमें से एक उसके शिओं में से था और दूसरा उसके दुश्मनों में से था। और उनमें से जो उसका शिआ था उस ने मदद के लिए पुकारा। (अपने दुश्मन से मुकाबले में मदद तलब की) (अलकुरआन 28:15) लेहाज़ा शिआ लफ़्ज़ एक अहम नाम है और परवरदिगार ने इस नाम से अपने बामंजिलत और मोहतरम आला पैग़म्बरों और उनके पैरोकारों को कुरआन में याद फरमाया है।

अगर कोई खुदा के नेक बन्दों का शिआ पैरोकार है तो फिर किसी के शिआ होने में कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी जालिम या खुदा के नाफरमान बन्दे का शिआ हो जाए तो उसका अंजाम भी उस जालिम के जैसा ही होगा।

कुरआन इस तरफ इशारा करता है कि रोज़ ए आखेरत लोगों के ग़िरोह आयेगें और हर ग़िरोह के आगे उस ग़िरोह का रहबर/इमाम होगा।

(उस दिन को याद करो) वो दिन जब हम हर गिरोह को उसके इमाम के साथ पुकारेंगे। (अलकुरआन-17:71)

रोज़ ए जज़ा हर गिरोह के मानने वालों का अंजाम उस गिरोह के इमाम से वाबस्ता होगा जिसकी वह पैरोकारी (वाकयन) करते थे। अल्लाह तआला ने कुरआन में दो तरह के इमामों का जिक्र किया है:

और इनमें उन्हें ऐसे इमाम करार दिया जो आग (जहन्नुम) की तरफ दावत देते हैं और रोज़े कयामत उनकी मदद ना की जायेगी। और हमने इस दुनिया में उनके पीछे लानत लगा दी है और कयामत के रोज़ वह बदहालों में से होंगे। (5) अलकुरआन (32:24)

दूसरी तरफ कुरआन उन अईम्मा की याददेहानी कराता है जिन्हें अल्लाह ने मखलूक (इन्सानों) के लिए रहबर बनाया है।

और उनमें से हमने इमाम मुंतख़ब किये जो हमारे हुक्म से लोगों की हिदायत करते थे इस बिना पर कि वह साबिर थे और हमारी आयात पर यकीन रखते थे। (5) अलकुरआन— (32:24)

यकीनन इन इमामों के सच्चे पैरोकार (शिआ) ही रोज़ ए कयामत कामयाब होंगे।

“अहादीस में शिआ”

तारीखे इस्लाम में लफ्ज़े शिआ बिलखुसूस इमाम अली अ0स0 के पैरोकारों और साथियों के लिए इस्तेमाल हुआ है। यह कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं था जो बाद में ईजाद हुआ था बल्कि इसको इस्तेमाल करने वाली पहली शख्सियत खुद रसूल अल्लाह की जात-ए-गिरामी थी। जबकि कुरआन की यह आयत ए मुबारक नाज़िल हुई।

वह लोग जो ईमान लाये और जिन्होंने नेक काम अंजाम दिए यकीनन वह अल्लाह की बेहतरीन मख़लूक है। (अलकुरआन-98:7)

पैगम्बर स0अ0 ने अली अ0स0 से फरमाया:

“यह तुम और तम्हारे शिओं के लिए है।” आपने मजीद फरमाया “ मुझे उस जात कि कसम है जिसके कब्जे ए कुदरत में मेरी जान है कि कयामत के दिन यह अली अ0स0 और इसके शिआ नजात हासिल करने वालों में से होंगे।”

- जलालउद्दीन अलसुयूती, तफसीर अल दुर अलमंसूर (मिस्र) जिल्द-6, पेज-379.
- इब्ने जरीर अल तबरी, तफसीर जामे अल बयान (मिस्र) जिल्द-33, पेज-146.
- इब्ने असाकीर, तारीखे दमिशक जिल्द-42, पेज-333, पेज-371
- इब्ने हजर अल हयतमी, अल सवाईक अल मुहरिका (मिस्र) चेपटर-11, सेक्शन-1, पेज-246-247.

रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया—

“ऐ अली! रोजे कयामत तुम और तुम्हारे शिआ अल्लाह के सामने ऐसे आयेगें की वह अल्लाह से और अल्लाह उनसे राजी होगा और तुम्हारे दुश्मन मग़जूव, अकड़ी गरदनं लिए आयेगें।

- इब्ने अल असीर, अल निहाया फी गरीब अल हदीस (बेरुत 1399) जिल्द-4, पेज-106
- अल तबरानी, मुआजाम अल कबीर, जिल्द-1, पेज-139
- अल हयतमी, मजमा उल जवाएज, जिल्द-9, शुमारा-14168

रसूले अकरम ने फरमाया—

“ऐ अली खुश हो के यकीनन तुम और तुम्हारे शिआ बेहिश्त में होंगे।

- अहमद बिन हम्बल, फजाएल अल सहाबा, (बेरुत) जिल्द-2, पेज-655
- अबू नूअम अल इसफहानी, हयातुल औलिया, जिल्द-4, पेज-329
- अल खातिब अल बग़दादी, तारीख बग़दाद, (बेरुत) जिल्द-12, पेज-289
- अल तबरानी, मुजाम अल कबीर, जिल्द-1, पेज-319
- अल हयतमी, मजमा अल ज़ावाएद, जिल्द-10, पेज-21-22
- इब्ने असाकिर, तारीख दामिशक, जिल्द-42, पेज-331-332
- इब्ने हज़्र अल हयतामी, अल सवाईक अल मुहरिका (मिस्र) चैप्टर-11, सेक्शन-1, पेज-247

लेकिन पैगम्बर फिरका बन्दी के अलफ़ाज़ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं?

क्या पैगम्बर इब्राहीम अ०स० फिरका पसन्द थे? क्या हज़रत नूह और जनाबे मूसा के बारे में ऐसा कहा जा सकता है? अगर लफ़्ज़ शिआ कोई फिरका बन्दी और इन्तेशार फैलाने वाली होती तो ना तो अल्लाह अपने बरगुज़ीदा पैगम्बरों के लिए यह लफ़्ज़ इस्तेमाल करता ना ही पैगम्बर अपने शिओं की तारीख़ फरमाते।

इस बात पर गौर करने की ख़ास ज़रूरत है कि पैगम्बर का मक़सद कभी भी मुसलमानों को फिरकों में बाटंनाना नहीं था।

आपने अपनी हयाते तय्यबा में अपने नायब की हैसियत से लोगों को हज़रत अली अ०स० की इताअत करने का हुक्म दिया और अपने बाद अपना जानशीन और खलीफा तस्लीम करने का हुक्म दिया। बदकिस्मती से वह लोग जिन्होंने पैगम्बर स०स० की इस हिदायत पर गौर और अमल किया उनकी तादाद बहुत कम थी और ये लोग शिआने अली के नाम से जाने गये। इनको हर तरह की नाइंसाफी और तश्दुद का हदफ़ बनाया गया। रहमतुल आलामीन के बाद यह गिरोह तकलीफ़े और जुल्म सहता रहा। अगर सारे मुसलमानों ने रसूल अल्लाह के फरमान की इताअत की होती तो आज इस्लाम में कोई गिरोह या फिरका ना होता।

एक हदीस में पैगम्बर ने फरमाया—

“मेरे बाद बहुत जल्द ही तुम लोगों के दरम्यान रंजिश और फितने सर उठायेंगे। जब ऐसा वक्त आये तो जाकर अली को तलाश करना। अली ही हक़ को बातिल से जुदा कर सकता है।”

- अली मत्तकी अल हिन्दी, कन्ज अल मुअम्मल (मुल्तान), जिल्द-2, पेज-612, नं०-32964

जिन कुरआनी आयात का इब्तेदा में जिक्र किया गया है उनके मुत्ताल्लिक कुछ सुन्नी ओलमा ने अहलेबैत में से छठे इमाम, इमाम जाफ़रे सादिक अ०स० के हवाले से रिवायत की है—

“हम अल्लाह की वह रस्सी है जिनके लिए अल्लाह ने इरशाद फरमाया है: और तुम सब मिलजुल कर अल्लाह की रस्सी को मज़बूती से थाम लो और जुदा-जुदा ना हो जाओ।”

- अल ज़हबी, तफसीर अल कबीर, सूरा 3:103 के बयान के मुताबिक।
- इब्ने हजर अल हयतमी, अल सवाईक—अल मुहरिकाह (मिस्र) चैप्टर 11, सेक्शन1, पेज 233।

लेहाज़ा अगर अल्लाह फिरका परस्ती की मज़म्मत करता है तो वह उनकी मज़म्मत करता है जो अल्लाह की रस्सी से जुदा हो गए उन लोगों को नहीं के जिन्होंने इसे मज़बूती से थाम रखा।

नतीजा:

हमने वाज़ेह किया है कि कुरआन में लफ़्ज़े शिआ का इस्तेमाल अल्लाह के आली मरतबा बन्दों के लिए किया गया है और रसूल अल्लाह की अहादीस में यही लफ़्ज़े शिआ इमाम अली अ0स0 के पैरोकारों के लिए इस्तेमाल हुआ है। जो कोई भी अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किये गए ऐसे रहबर की इत्तेबा और पैरोकारी करता है वह मजहब में किसी भी नाइत्तेफ़ाकी से महफूज़ है और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे हुए है और उन्हें बेहिश्त की खुशखबरी दी जा चुकी है।”

सहीह अल बुखारी में शिआ राफ़िजी रावअईन

“ऐ ईमान वालों! अल्लाह की इताअत में खबरदार राहा और सच्चों के साथ हो जाओ।”

(अल कुरआन 9:19)

इस्लाम के शुरूआती दौर के वह ओलमा जिनको आदिल, सच्चा और काबिले एतमाद समझा जाता था वह शिआ जज़रियात के हामी थे और पैरवी करते थे और पैग़म्बरे इस्लाम के सिलसिले में उनकी रिवायत की गई अहादीस को अहले सुन्नत के मशहूर ओ मोतबर ओलमा मोतबर मानते थे।

दरज ज़ैल फेहरिस्त में उन चंद शिआ ओलमा के नाम दिए जा रहे हैं जिनको अल बुखारी ने अपनी सहीह में मातबर तसलीम किया है। अगर इनमें हम बाकी रावियों को शामिल कर लें, सहीह मुस्लिम के रावी, और सहीह सित्ताह के चार जिन्होंने शिआ अक़ायद की पैरवी की तो यह तादाद काबिले ग़ौर अंदाज़ में बढ़ जाती है। जगह को बचाने के ज़रिये से, हर बाब में हर एक रावी को एक सिर्फ हदीस, एक अलग उन्वान (किताब) से हवाला पेश किया जा रहा है। बक़िया को हदीस साफ़्टवेयर का इस्तेमाल करके तलाश यिका जा सकता है।

आगे आने वाली सवानाते उमरी में जगह जगह पर पढ़ने वालों को राफ़ज़ी लफ़ज़ ग़ौर करने को मिलेगा। ओलमा ए अहले सुन्नत आम तौर पर राफ़ज़ी ऐसे शिआ को कहते हैं जो खुले तौर पर अली अ0स0 से पहले के ख़लीफ़ाओं की मज़म्मत करता है या उनके सिलसिले को पूरी तरह से नकार देता है।

उबैदुल्लाह बिन मूसा अल अबसी (वफ़ात 213 AH)

सहीह बुख़ारी (किताब अल ईमान), सहीह मुस्लिम (किताब अल ईमान), सहीह अल तिरमिदी (किताब अल सलात), सुनन अल-नसाई (किताब अल सहो), सुनन अबू-दाऊद (किताब अल तहारत), सुनन इब्ने माजाह (किताब अल मुकददमह)

- “अबु दाऊद कहते हैं— वह एक पक्के शिआ थे। उनकी अहादीस मोतबर और काबिले क़बूल हैं।” इब्ने मंदह कहते हैं— अहमद इब्ने हम्बल उबैदुल्लाह की तरफ़ लोगो से इशारा करके कहते थे (उबैदुल्लाह के बारे में) और वो अपने राफ़ज़ी होने के सिलसिले में अच्छी तरह जाने जाते थे (हज़रत अली अ0स0

के लिए उनकी हद से ज़्यादा मुहब्बत) और वह ऐसे किसी भी इन्सान को अपने घर में नहीं आने देते थे जिसका नाम " मुआविया " होता था।

- एक नेक इन्सान, शिआ ओलमा (अहमतरीन) में से एक यहया बिन माएन के नज़दीक मोतबर।

अबु हातिम कहते हैं – "वह काबिल एतमाद और भरोसेमन्द थे"

अल-लजीली का बयान है। – "वह कुरआन पर उबूर रखते थे"।

अब्बास बिन याकूब अल रावाजनी (विलास 250 AH)

सहीह बुख़ारी (किताबुल तौहीद), सहीह अल तिरमिदी (किताबुल मनाकिब) सुनन इब्ने माजह (किताब माजाअंफी अल जनाएज़)

- वह एक काबिले एतमाद राफज़ी थे और उनकी हदीस अल बुख़ारी की सहीह में मौजूद है।
- अबू हातिम ने बयान किया – वह सलफ़ की मुखलेफ़त करते थे। उनमें शिअत के लिए शिद्दत से मुहब्बत मौजूद थी।
- सालेह बिन मुहम्मद कहते हैं— वह उस्मान के मुखलिफ़ थे। मैंने उनसे कहते हुए सुना "अल्लाह इससे कही ज़्यादा आदिल है कि वह हरगिज़ तलहा और जुबैर को जन्नत में दाखिल होने देगा (हरगिज़ न होने देगा) इस बिना पर कि पहले अली अ0स0 से वफादारी का मुज़ाहिरा किया और बाद में उन्हीं से जंग पर आमादा हुए।"
- इब्ने हिब्बान कहते हैं— वह एक राफज़ी थे (जो औरों को भी अपने अकीदे की तरफ़ दावत देते थे)"
उन्होंने यह हदीस बयान की— "अगर तुम मुआविया को मेरे मिम्बर पर देखो तो उसे कत्ल कर दो!"

अब्दुल मलिक बिन अयान अल कूफी:

सहीह अल बुख़ारी (किताब अल तौहीद), सहीह मुस्लिम (किताब अल ईमान), सहीह अल तिरमिदी (किताब तफसीर अल कुरआन..), सुनन अल-नसाई (किताब अल ईमान,

वा अल नूजहुर), सुनन अबू-दाऊद(किताब अल बूयू), सुनन इब्ने माजाह (किताब अल ज़काह)।

- वह एक राफज़ी शिआ थे, अपनी एक राय रखने वालों में से थे।
- वा एक काबिले एतमाद राफज़ी थे (सदूक)।
- अल लिजली का कहना है —“वह कूफ़े से थें, एक ताबाई (वारिस) थें और मोतबर थें।

सूफ़यान कहते हैं: अब्द अल मालिक बिन अयान (शिआ) ने हमसे रिवायत की (बयान किया) कि वह एक राफज़ी थें हमारे नज़दीक अपनी एक राय रखने वाले थें। हामिद का कहना है — वह तीन भाई, अब्द अल मलिक, जुरारह और हमरान सबके राफज़ी थें। अबू हातिम ने कहा— इस्लाम को अपनाने वालों में वह अब्वालीन में से थें। वह सदाक़ात के दरजात पर थें। उनको अहादीस मेयारी हैं और उनकी अहादीस लिखी जाती हैं।

अब्दुल रज़्ज़ाक अल सनआनी (वफात 211)

सहीह बुख़ारी (किताब अल ईमान), सहीह मुस्लिम (किताब अल ईमान), सहीह अल तिरमिदी (किताब अल तहारत), सुनन अल-नसाई (किताब अल तहारत), सुनन इब्ने माजाह (किताब अल मुकद्दमह फी अल-ईमान)

- इब्ने अदी ने कहा— उन्हें (ओलामा को) उनकी अहादीस में कोई दुशवारी नज़र नहीं आती सिवाय इसके कि उनमें उनसे जुड़ी हुई रहती शिअत ज़ाहिर होती थी।
- वह एक बाइज़्ज़त शख्स थें वह अहलेबैअत अ0स0 की मदह में अहादीस बयान करते थें और दूसरों को बहुत कम अहमियत देते थे।
- मुक़लिद अल शुअैरी फरमाते हैं— “ मैं अब्दुल रज़्ज़ाक के साथ था कि किसी ने माआविया का नाम लिया। अब्दुल रज़्ज़ाक बोले अबूसूफ़यान के वारिस का नाम लेकर हमारी मजलिस को नापाक मत करो।”
- इब्ने आदी अब्दुल रज़्ज़ाक से एक हदीस रिवायत करते हैं— अगर मआविया को मेरे मिम्बर पर देखना तो उसे क़त्ल कर देना।”

औफ़ बिन अबी जमीलह अल अराज़ी (विसाल 146)

सहीह बुख़ारी (किताब अल ईमान), सहीह मुस्लिम (किताब अल मसाजिद वा मवादी अल सलात), सहीह अल तिरमिदी (किताब अल सलात), सुनन अल-नसाई (किताब अल तहारत), सुनन अबू-दाऊद (किताब अल सलात), सुनन इब्ने माजाह (किताब अल सलात)

- वह एक राफज़ी थें मगर मोतबर थें। उनहे अक्सर ओलमा ने मोतबर तस्लीम किया है और उनमें शिअत मौजूद थी। (11)
- औफ़ एक क़ादरी थें, शिआ थे, एक शैतान थे। (12)
- उनका झुकाव शिअत की तरफ़ था। इब्ने माएन उन्हें “मोतबर कहते हैं। अलनसाई उन्हें बहुत मोतबर में शुमार करते हैं।”(13)

सवाल— मगर ये मुमकिन है कि अल बुख़ारी मुस्लिम और दूसरो ने बिना इनके सही अक़ीदो को जाने हुए इन पर ऐतमाद कर लिया हो?

जवाब— इन ओलमा ने अपनी जिन्दगीयाँ इन अहादीस को हासिल करने में उन्हें आगे मुन्तकिल करने में और इन अहादीस को हासिल मुन्तकिल करने वालों की जिन्दगीयों का इल्म हासिल करने में सर्फ़ कर दीं। इनमें से ज्यादातर ने रिजाल पर किताबें लिखी हैं (रिजाल— अहादीस के मोतबर होने का साईंस (इल्म)। हालांकि उनके इन्तेखाब का तरीका (मजामीन और ओलमा के लिसिलें में) साफ़ तौर पर सुन्नी नज़रिया ज़ाहिर करता है फिर भी उन्होंने खुद को उन शिआ रावियों पर एतबार करता हुआ पाया जिन्हें उनहोने सादिक पाया। ये उस सच्चाई के बावजूद हैं जो कि उनकी शिअत को रद्द करते हुए ज़ाहिर किया गया है। लेहाज़ा अगर ये कहा जाए कि अल बुख़ारी मुस्लिम और दीगर ज़राये इन शिआ रावियों के अकायद को नहीं जानते थें तो ये उनके इल्मी मैदान में नातर्जुबेकार कहने जैसा मालूम होगा।

सवाल— तो उन्होने महज़ सुन्नी ओलमा माहिरीन पर ही ऐतमाद क्यों नहीं किया?

जवाब— मुमकिन है कि वो हमारे ऐसे सुन्नी बरादरान जो कि तंग नज़रियात रखते हैं और शिआ अकायद को तमाम गलत इलज़ामात देते हैं जैसे न रहे हों। इस मज़मून में शामिल समानाते उमरी से ज़ाहिर हो जाना चाहिये कि कुछ खुलफा, सहाबा पर तन्ज के सिलसिले में ओलमाये अहले सुन्नत के पिछली नस्लो के ओलमा ने ऐसे तारीखी सबूत जिनमें एख़तिलाफ़ की गुन्जाईश नहीं है कि बिना पर तन्ज को बर्दाश्त किया है।

सवाल— क्या शिआ अपनी किताबों में सुन्नी रावीयों पर एतमाद करते हैं?

जवाब— जहां तक यह यकीन होता है कि कोई सुन्नी रावी खानदाने अहलेबैअत से बुग़्ज नहीं रखता और उसकी सदाकत साबित हो तो शिआ मोहद्दीसीन उसको कुबूल करते हैं।

नतीजा

सच्चाई यह है कि अहले सुन्नत अहादीस के अदबियात का एक बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा अगर शिआ रावीयों की रिवायतों को रद्द कर दिया जाए। शिआ अकीदा सुन्नी नज़रिये के मुकाबले में हमेशा एक मज़बूत जवाब/विकल्प रहा है और है।

हवाले

1. अल कुरआन 9:119
2. अल बुखारी की हदीस के ईमाम की नस्ल और वह मारुफ ओलमा जिनसे उन्होंने बयान फरमाया (सल्फी पब्लिकेशन ब्रिटेन 1997) पेज 89।
अल ज़हबी, सेयार आलम अल नुबाला जिल्द 9 पेज 553 से 557।
3. अल ज़हबी, तज़किरात अल हुफ्फाज़ जेरे कयादत उबैदुल्लाह बिन मूसा अल अबसी।
4. इब्ने हजर अल अस्कलानी, तकरीब अल तहजीब, अब्बास बिन याकूब अल रवाजामी
5. इब्ने हजर अल अस्कलानी, तकरीब अल तहजीब, अब्बास बिन याकूब अल रवाजामी
6. अबू जाफर अल उकेली, दुआफा अल उकेली, जेरे कयादत अबद अल मालिक बिन आयान
7. अल मिज़्ज़ी, तहजीब अल कमाल, जेरे कयादत अबद अल मालिक बिन आयान
8. इब्ने हजर अल अस्कलानी, तकरीब अल तहजीब, जेरे कयादत अबद अल मालिक बिन आयान
9. अल मिज़्ज़ी, तहजीब अल कमाल, जेरे कयादत अब्दुरज्जाक अल सनानी
10. अल ज़हबी, मीजान उल एतदाल जेरे कयादत अब्दुरज्जाक अल सनानी
11. अल ज़हबी, सेयार आलम अल नुबाला औफ बिन अबी जमीला
12. अबू जाफर अल उकेली, दुआफा अल उकेली, जेरे कयादत औफ बिन अबी जमीला
13. अल मिज़्ज़ी, तहजीब अल तहजीब अल कमाल औफ बिन अबी जमीला

क्या तमाम सहाबा आदिल और सच्चे थे?

“ऐ ईमानदारों, अगर कोई फासिक तुम्हारे पास कोई ख़बर ले कर आए तो उस के बारे में तहकीक़ कर लिया करो। कहीं ऐसा न हो के तुम नादानी में किसी गिरोह को नुक़सान पहुँचा दो और फिर तुम अपने किये पर शर्मिन्दा हो। (1)

(अल कुरआन—49:6)

शिआ उन तमाम असहाब ए रसूल को मानते हैं जो रसूल अल्लाह की तालीमात पर उनकी जिन्दगी में और उनकी रेहलत के बाद भी कायम रहे। इस नज़रिये के बरअक्स अहले सुन्नत के मुताबिक़ जिन लोगों ने रसूल को चन्द लम्हों के लिए भी देखा है वों भी सहाबी है और बालाए तन्कीद हैं। हालाकिं इस नज़रिए को कुरआन और तारीख़ी वाकियात से साबित नहीं किया जा सकता और यही नज़रिया दोनों गिरोहों के दरमियान इख़्तेलाफ़ की वजह बना।

सहाबी की तारीफ़

मशहूर सुन्नी आलिम इब्ने हजर अल असक़लानी ने सहाबी की तारीफ़ यूँ बयान की है कि वह शख़्स जिस ने इस्लाम कुबूल करने के बाद रसूल अल्लाह से मुलाक़ात का शरफ़ हासिल किया हो और मरते वक़्त दीन ए इस्लाम पर कायम रहा हो। इब्ने हजर ने मुन्दरजा ज़ैल शराएत को पूरा करने वालों को भी सहाबी शुमार किया है।

- वो तमाम लोग जिन्होंने पैग़म्बर से मुलाक़ात की चाहे मुलाक़ात का दौर तवील रहा हो या मुख़्तसर।
- जिन्होंने रसूल से रिवायत की हो और जिन्होंने ना की हो।
- जिन्होंने रसूल अल्लाह के साथ जंग की हो और जिन्होंने ना की हो।
- जिन्होंने फक़त पैग़म्बरे इस्लाम की एक झलक देखी हो लेकिन आप की बज़्म में शरीक ना हुऐ हो।

- और वह भी जो किसी मजबूरी की बिना पर मसलन नाबीनाई की बुनियाद पर ना देख पाए हों।(2)
- इब्ने हजर अल असक़लानी अल इसबाह फी तमीज़ अलसहाबा (बेरुत) जिल्द 1, सफ़ा 10

अहले सुन्नत इस सिलसिले में बिल्कुल मुत्तफ़िक् है कि तमाम सहाबा आदिल, लायक़े ऐतमाद और उम्मत में से बेहतरीन थे।

कई ओलमाए अहले सुन्नत ने इस अक़ीदे का इज़हार किया है जिन में दरज ज़ैल शामिल हैं।

- इब्ने हजर अल असक़लानी, अल इसबाह फी तमीज़ अलसहाबा (मिस्र) जिल्द 1, सफ़ा 17 से 22।
- इब्ने अबी हतम अलराज़ी अलजरह वा अलतादील है (हैदाराबाद) जल्द 1, सफ़ा 7 से 9।
- इब्ने अल असीर उसदाल— गा़बा फ़ी मारेफ़तअल सहाबा जिल्द 1 सफ़ा 2 से 3।

मगर नाक़ाबिले तरदीद सूबूत की रौशनी में यह अक़ीदा कुबूल करना मुश्किल हो जाता है। दरज ज़ैल वाकिया मुलाहिज़ा फरमायें—

जुबैर ने मुझसे बयान किया कि उनका असहाबे बद्र में शामिल एक अन्सारी से रसूलअल्लाह स०अ० के सामने एक चश्मे के मुताल्लिक् इख़्तेलाफ़ हो गया जो आबयारी के काम में आता था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, “ऐ जुबैर पहले अपने बाग़ में पानी दो और फिर अपने हमसाए की तरफ़ बहने दो।” इस पर अन्सारी को गुस्सा आया और कहने लगा, “या रसूलअल्लाह! क्या ये तरज़ीह इसलिए है कि ये जुबैर आपके चचाज़ाद भाई हैं?”

ये सुनकर रसूलल्लाह का चेहरा ए अनवर जलाल की वजह से मुतगय्यर हो गया और आप ने जुबैर से फरमाया, “अपने बाग की सिचाई कर लो और फिर पानी को रोक लो कि दीवारों तक पहुँच जाए (खजूर के पेड़ों के आस-पास)”。 इस से रसूले खुदा स0अ0 ने जुबैर को उसका पूरा हक दे दिया। इससे पहले रसूलअल्लाह स0अ0 ने फरागदिली से ऐसा फैसला किया था जो जुबैर और अन्सारी दोनों के फाएदे का था लेकिन जब अन्सारी ने रसूलल्लाह स0अ0 को नाराज़ किया तो आप ने हसबे कानून जुबैर को उनका पूरा हक दे दिया।

जुबैर का कहना था कि, “बा खुदा ये आयत इसी फैसले के सिलसिले में नाज़िल हुई: “आपके परवरदिगार की कसम! वों मोमिन नहीं हो सकते मगर ये के वों अपने एख्तेलाफ़ात में आपको हुक्म और फैसला करने वाला माने।”

(सूरए 4 आयत न0 65) सही अल बुखारी अंग्रेज़ी तर्जुमा जि0 3 किताब 9 शुमारा 0871

अहले सुन्नत अक़ीदे के मुताबिक़ ये सहाबी बालाए तन्कीद हैं और मसाएले सुन्नत में मोतबर है और मिसाल एक बेहतरीन नमूना है बावजूद ये के इस सहाबी ने ना सिर्फ़ रसूल स0अ0 के फैसलें को नहीं माना बल्कि अपने रवैय्ये से आपको नाराज़ भी किया , जिसके नतीजे में आयते कुरआनी का नुज़ूल हुआ। बदकिस्मती से तारीख़े इस्लाम ऐसी कई शख़्सियात से भरी पड़ी है जिन्हें शरायते अहले सुन्नत के मुताबिक़ सहाबी कहा जाता है। हालाकिं विसाले रसूल स0अ0 से क़ब्ल या बाद में या दोनों अदवार मे वो ग़ैर इस्लामी हरकत के मुरतक़ब हुए।

अल वलीद बिन उक़बह

क्या वह शख़्स जो साहबे ईमान है और जो फासिक़ है दोनों एक जैसे है? नहीं ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते।(2)

(अलकुरआन: सूरा अल सजदाह, आयत-18)

नामी मुफस्सरीन ए अहले सुन्नत का कहना है के इस आयते मुबारक के नुजूल की वजह एक वाक्या था और इस आयत में साहबे ईमान से मुराद इमाम अली अ०स० हैं और लफ्जे फ़ासिख़ एक सहाबी के लिये इस्तेमाल हुआ है जिस का नाम वलीद बिन उक्बा बिन अबि मुअय्यत था।

- अल कुरतुबी, तफ़सीर (मिस्र 1947) जिल्द 14 पेज 05।
- अल तबरी, तफ़सीर जाम अल बयान मुन्दरजह बाला आयत की तफ़सीर
- अल वाहिदी, असबाब अल नूजूल (दरअला दियान फी तुरास एडीशन) स० 2911।

हम इस आयते कुरआनी को देख चुके हैं जिस में एक मोमिन को किसी फ़ासिक् की दी हुई ख़बर पर यकीन ना करने की हिदायत दी गई है।

“ ऐ वह लोगों! जो ईमान लाए हैं। अगर कोई फ़ासिक् तुम्हारे पास कोई ख़बर लाये तो उसके बारे में तहकीक़ कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो के नादानी में किसी ग़िरोह को नुक़सान पहुँचा दो और फिर तुम अपने किये पर पशोमान हो” (3)

(सूरा अल हुजारात: आयत 6)

एक दिलचस्प बात यह है कि इस आयत की तफ़सीर के ज़ैल में इसी वलीद से मुताअल्लिक् एक और वाक़िया पता चलता है जिस में इसके किसी मामले में झूठ बोलने पर इस आयत का नुजूल हुआ और इसको फ़ासिक् करार दिया गया।

हवाले:

- 1.इब्ने क़सीर, तफ़सीर कुरआन अल अज़ीम (बेरूत 1987) जिल्द 4 पे०. 224
- 2.अल कुरतुबी, तफ़सीर (मिस्र 1947) जिल्द 16 पे० 11

3. अल सूयूती और अल महाल्ली, तफसीर अल जलालैन (मिस्र 1924) जिल्द 1 सफा 185

4. अबू अमीनाह, बिलाल फिलीप्स, तफसीर सूरह अल हुजरात (रियाद) पे0 62 से 63

जैसा कि अबू अमीनाह बिलाल फिलीप्स ने कहा! “जब ख़बर देने वाले लोगों का किरदार मशकूक हो तो निहायत ही एहतियात ज़रूरी है या जिनकी ईमानदारी साबित न हो या जिनकी गुनाहगारी मशहूर हो।” मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि अहले सुन्नत की अहादीस में इस वलीद बिन ओक़बा से रिवायत करदा अहादीस मौजूद हैं: मिसाल मुलाहिज़ा फ़रमायें।

1. अबू दारुद सुन्न 1973 किताब उल तरजुल बाब फी अल खुलूक लीर रिजाल जि0 4 पे0 404 हदीस न0 418।
2. अहमद बिन हबल, अल मुसनद, अव्वल मुसनद अल मदानी आईन अजमईन, हदीस 15784।

वलीद की मक्कारियां दौर —ए— नबवी के बाद भी ख़त्म नहीं हुई। उसे तीसरे ख़लीफ़ा उस्मान ने कूफ़े का गर्वनर बनाया और यहां भी उसकी शरारते जारी रहीं, एक बार उसने नशे के आलम में नमाज़ की इमामत करते हुए नमाज़े फ़ज़ को दो रकअत के बजाये चार रकअत पढ़ा दी, जिसके बाद बाहुक्मे हज़रत उस्मान इस को सज़ा दी गई। यह वाक़ेया मुन्दरजा ज़ैल के अलावा और भी बेशुमार किताबों में मिलता है।

सहीह अल बुख़ारी (अंग्रेज़ी तर्जुमा) जिल्द 5, पे0 57, न0 45, जिल्द 5, बाब 58, न0 212।

3. अल तबरी, तारीख़ (अंग्रेज़ी तर्जुमा तारीख़े अल तबरी) इब्तेदाए ख़िलाफ़त के दौर की दुश्वारियां जि0 15 पे0 120।
4. सुन्नी फ़िक़ह इस फ़ासिख़ सहाबी वलीद की मिसाल को बतौर दलील इस्तेमाल करते हुए ऐसे शख्स के पीछे नमाज़ पढ़ने को जायज़ करार देते हैं जो खुल्लम खुल्ला गुनाहगार हों।
5. अली अल क़ारी अल हराबी अल हनफी, शरह फ़िक़ह अल अकबर बज़ैल ए उनवान— नेक या गुनहगार के पीछे नमाज़ की इजाज़त है।
6. इब्ने तैयमियाह, मजमूआ, फ़तावा (रियाद 1381) जि0 3 पे0 281।

आखिर गुजिश्ता तारीख को कुरेदने से क्या हासिल होगा?

वलीद जैसे नाम निहाद सहाबा की करतूतों को पेश करने से हमारा मक़सद हरगिज़ यह नहीं है कि किसी की ख़ामख़्वाह गीबत या ऐबकुशाई की जायें बल्कि मुसलमानों को इस बात की बहुत एहतियात की और तहकीक़ की ज़रूरत है कि अपने मज़हबी अक़ायद और सुन्नते रसूल के बारे में ख़बरे और इल्म किन ज़राये से हासिल करते हैं इस बात का फैसला इसी तरह किया जा सकता है कि असहाबे रसूल की ज़िन्दगी का बग़ौर मुआयना किया जायें क्योंकि उनके आमाल ही से उन के बा किरदार और मोतबर होने का पता चल सकता है। इस सिलसिलें में रसूले अकरम ने हमें पहले ही ख़बरदार कर दिया है, “मैं तुम सबको पहले हौज़ पर पहुँचूंगा और जो मेरे पास से जो गुज़रेगा वह एक सेराब होगा कि कभी तशनगी महसूस न करेगा। मेरे पास कुछ लोग आयेगें जिनको मैं पहचानता होऊँगा और वह मुझको पहचानतें होएंगें मगर उनको मुझ से जुदा कर दिया जायेगा। मैं पुकारूंगा, “मेरे असहाब” एक जवाब आयेगा— आपको नहीं ख़बर की इन्होंने आपके बाद क्या किया। तो फिर मैं कहूँगा कि “दूर कर दो उनको मुझसे जो मेरे बाद बदल गए हैं।”

सहीह अल बुख़ारी (अंग्रेज़ी तर्जुमा) जि0 8, किताब 76 न0 585

असहाबे रसूल के सिलसिलें में शिया नज़ारिया

तमाम शिया रसूल अ0स0 के मुख़िलस सहाबा से मोहब्बत करते हैं जिन की कुरआन में तारीफ़ की गई है और इस हदीस के अहल वलीद बिन ओक़्बा जैसे लोग नहीं हो सकते हैं जो सुन्नी अक़ीदे के मुताबिक़ सहाबी मशहूर होने के बावजूद हदीस और सुन्नते रसूल के मोतबर रावी या क़ाबिले तक़लीद नमूना नहीं हो सकते।

लिहाज़ा शिया तमाम असहाब के यक़सा मोतबर होने पर यकीन नहीं रखते बल्कि हर सहाबी के सवाने हयात की जांच पड़ताल करके यह मालूम करने की जुस्तुज़ करते हैं कि किस हद तक पैग़ामे नबवी की पाबन्दी की। बिलाशुबाह ऐसे बेशुमार नेक सहाबी हैं जिनमें अम्मार, मिक्दाद, अबूज़र, सुलैमान, अबूज़र, जाबिर और इब्ने अब्बास जैसे और असहाब शामिल हैं। आख़िर में हम चौथे इमाम ज़ैनुलआबेदीन अ0स0 की दुआ से कुछ हिस्सा बयान करना चाहेंगे जो आपने असहाबे रसूल के हक़ में फ़रमाई है

“बारे इलाहा खूसूसियात से असहाबे मोहम्मद में से वह अफ़राद जिन्होंने पूरी तरह पैग़म्बर का साथ दिया और उनकी नुसरत में पूरी शुजाअत का मुज़ाहिरा किया और उनकी मदद पर कमर बस्ता रहें और उन पर ईमान लाने में जल्दी की और उनकी दावत की तरफ़ सबक़्त की और जब पैग़म्बर ने अपनी रिसालत की दलीलें उनके गोश गुज़ार कि तो इन्होंने लब्बैक कही और उनका बोल बाला करने के लिए बीवी बच्चो को छोड़ दिया और अग्रे नबूवत के इस्तेहकाम के लिए बाप और बेटो तक से जंगे की और नबी अकरम के वजूद की बरकत से कामयाबी हासिल की, इस हालत में की उनकी मोहब्बत दिल के हर रग व रेशे में लिए हुए थे और उनकी मोहब्बत व दोस्ती में ऐसी नफ़ा बख़्शिश तिजारत की मुतावाक़े थे जिसमें कभी नुकसान न हो और जब उनके दीन के बन्धन से वाबस्ता हुए तो उनकी क़ौम क़बीले ने इन्होंने छोड़ दिया और जब उनके साया ए कुर्ब में मंज़िल की तो अपने वाबस्ता हुए तो उनके क़ौम क़बीले ने इन्हें छोड़ दिया और जब उनके साया क़र्ब में मंज़िल की तो अपने बेगाने हो गये। तो ऐ मेरे माबूद इन्होंने तेरी ख़ातिर और तेरी राह में जो सब को छोड़ दिया तो जज़ा के मौक़े पर उन्हें फ़रामोश न करना और उनकी फ़िदाकारी और ख़ल्क़े खुदा को तेरे दीन पर जमा करने और रसूल के साथ दाई हक़ बन कर खड़े होने के सिले में इन्हें अपनी खुशनूदी से सरफ़राज़ व शादमा फ़रमा।”

सहीफ़ा ए कामिला (अग्रेजी तर्जुमा लन्दन 1988) सफ़ा 27।

क्या शिआ किसी अलग कुरआन पर यकीन रखते हैं ?

“बेशक हमने इसको (कुरआन)को नाज़िल किया और यकीनन हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं ”(अलकुरआन)15 .9

शिआ हज़रात पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि ये कुरआन मजीद में तहरीफ़पर यकीन रखते हैं और समझते हैं कि इसमें रददो बदल की गई है और यह वह कुरआनी आयात नहीं है जो रसूलल्लाह पर नाज़िल हुआ था।

यह सच नहीं है

इस्लाम की इब्तेदा से लेकर अब तक मौजूदा सदी तक तमाम शिआ असना ए अशरी ओलमा ने कुआने मजीद को हर तरह की तब्दीली और तहरीफ़ से महफूज़ तस्लीम किया है और यह उनका पुख्ता अक़ीदा रहा है कुछ मोतिबर और मारुफ़ ओलमा जिन्होंने अपनी किताबों में इस अक़ीदे का ज़िक्र किया है उनमें से कुछ यह हैं

- शेख़ अल – सदूक (वफ़ात 381 AH) किताब उल एतेक्दादात (तेहरान 1379) सफ़ज़ 1630
- शेख़ अल मुफीद (वफ़ात 413 AH) अवाइलुल मक़ालात सफ़ा 55–56
- शरीफ़ अल मुर्तुज़ा वफ़ात 436 AH बहरूल फ़वायद तेहरान 1314 सफ़ा 69
- शेख़ अल तूसी वफ़ात 460 AH तफ़सीरल तिबयान नजफ़ 1376 अवस 1 चह 3
- शेख़ अल तबरसी वफ़ात 548 AH मजमाउल बयान लेबनान जि0 1 सफ़ा 15

बाद के दौर के कुछ ओलमा जिनका यह नज़रिया था उनमें यह शामिल है

- मोहम्मद मोहसिन अल फायद अल काशानी वफात 1019 अलवाफी जि 1 सफा 273-4 और अल असफा की तफसीर अल कुर्आन पेज 348

- मोहम्मद अल बाकर अल मजलिसी वफात 1111 AH बिहारूल अनवार vol 89 pg 75

यह अकीदा मौजूदा दौर तक बिना कियी रुकावट के कायम है इस सदी के वह शिआ ओलमा जिन्होंने इस अकीदे की तस्दीक की है कि कुअर्ज़ने करीम मुकम्मल तौर पर किसी तहरीफ से महफूज़ है उन में से कुछ मशहूर ओलमा यह हैं ।

सैयद मोहसिन अलअमीन अल आमिली (वफात 1371 ए एच)

सैयद शशरफ अल दीन अल मूसवी (वफात 1377 ए एच)

शशख़ मुहम्मद हुसैन काशिफ़ अलगिताह (वफात 1373 ए एच)

सैयद मोहसिन अल हाकिम (वफात 1390 एएच)

अल्लामा अल तबातबाई (वफात 1402 एएच और

सैयद रूहुलअलखुमैनी (वफात 1409 ए एच)

सययद अबुलकासिम अलखुई (वफात 1413 ए एच) और

सैयद मोहम्मद अल रिदा अल गुलपायगानी (वफात 1414 ए एच)

ज़ाहिर है कि ये मुकम्मल फ़ेहरिस्त नहीं है बल्कि चन्द नाम हैं ।

सवाल: मगर इन ओलमा से क़ब्ल जो शिया थे क्या वह सब तहरीफ़े कुर्आन में यक़ीन रखते थे?

जवाब: हर गिज़ नहीं मिसाल के तौर पर उबैदुल्लाह बिन मूसा अलअबसी जो कि एक इन्तेहाई पुरखुलूस शिया आलिम थे जिनकी आइम्माए मासूमीन से नक़ल रिवायते शिया अहादीस की किताबों जैसे कि अलतहज़ीब और अलइस्तेबसात में मौजूद हैं उनके सिलसिले में ओलमाए अहले सुन्नत के दरजात दरज़े ज़ेल हैं

एक मुत्तकी बन्दा एक अहम शिया आलिम थे यहया बिन मारुन के नज़दीक मोतबर थे और अबू हातिम ने भी उनको काबिले इतेमाद कहा है अलइजली के मुताबिक वह कुर्आन पर अबूत रखते थे। (2)

अलजहबी तजकिरात अल हुफ़ाज़ हैदराबाद 1333 ऐ एच0 वैल्यूम 1 322।

वह फ़िक्ह हदीस और कुर्आन में इमाम थे और उनके किरदार की खास बात उनकी नेकी और तक्वा था लेकिन वह शियो के सरदारों में से थे। (3)

इब्ने अल इमाद अल हबली शजरात अलजहब मिस्र 350 ए0 एच0 वैल्यूम 2 पे0 29।

इनमें से कोई भी सुन्नी ओलमा उबैदुल्लाह बिन मूसा अल अबसी की कुर्आन के इल्म की हरगिज़ तारीफ़ न करता अगर वह मानते होते कि यह उबैदुल्लाह बिन मूसा तहरीफ़े कुर्आन में यकीन रखते थे।

बावजूद एक शिया होने के उबैदुल्लाह को इतना मोतबर समझा जाता था कि मशहूर सुन्नी मोहदेसीन जैसे अलबुखारी मुस्लिम और दीगर मोहदेसीन ने इनकी बेशुमार रिवायतों को अपनी हदीसों में शामिल किया है।

(अकीदए इमामिया हदीस अल बुखारी सल्फ़ी पब्लिककेशन बर्तानिया 1997 पे0 87.89)

सवाल: क्या शिया मुस्हफ़ फ़ातेमा में यकीन नहीं रखते जोकि कुर्आन से तीन गुना ज़्यादा ज़खीम है?

कुर्आन मजीद एक मुस्हफ़ किताब है लेकिन कोई भी किताब कुर्आन को यह ज़रूरी नहीं है फ़ातेमा का कोई कुर्आन नहीं है। मुस्हफ़ कुर्आन एक किताब है जिसे वफ़ाते पैग़म्बर के बाद या तो लिखी थी या तो लिखवाई थी।

यह कुर्आन का हिस्सा नहीं और इसका शरर्ह मसाएल में कोई दखल नहीं है।

सवाल: लेकिन क्या शिया अहादीस के मजमूआत में ऐसी अहादीस नहीं हैं जिनमें मौजूदा आयात या कुर्आनी में इजाफ़े वाले अल्फ़ाज़ होने का ज़िक्र मिलता है

ऐसे कुछ मक़ामात हैं जहाँ पर महज़ तफ़सीर की वजह से इजाफ़ी अल्फ़ाज़ पाये जाते हैं मगर इसका मतलब यह नहीं कि असल इबारते कुर्आनी में तहरीफ़ की गई हो और ऐसा शिया और सुन्नी दोनों की किताबों में पाया जाता है दरजा ज़ेल दोनों मिसालों पर गौर फ़रमाए जो दोनों ही मशहूर सुन्नी तफ़सीरे कुर्आन में हैं।

1. अबी इब्ने क़आब इस तरह पढ़ते थे तो फिर जिन औरतों से तुम एक मुर्क़रर मुददत के लिए तो उनका हक़ मेंहर जो तुम पर आयद होता है उन्हें दे दो कुर्आन सूरा-4 आ0 33

और इब्ने अब्बास भी यही रिवायत करते थे 2 फ़रूददीन अल राज़ी मफ़ातीह अलग़ैब बैरूद 1981 जि0 9 सफ़ा 53 इब्ने क़सीर तफ़सीर अल कुर्आन अल अज़ीम बैरूद 1987 जि0 2, सफ़ा 244।

इब्ने क़सीर की तफ़सीर में एक हाशिये में वज़ाहत की गई है कि मुन्दरजा बाला आयात में जिन इजाफ़ी अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल किया गया है जो कुर्आन का हिस्सा नहीं हैं सहाबए रसूल उन अल्फ़ाज़ों को फ़क़त तफ़सीर और तशरीह के ग़रज़ से पढ़ते हैं।

2. इब्ने मसऊद ने फ़रमाया रसूल अल्लाह के दौर में हम पढ़ा करते थे ऐ रसूल अल्लाह लोगों तक पहुंचा दिए जो कुछ आपके परवरदिगार की तरफ़ से आप पर नाज़िल किया गया है कि अली तमाम मोमनीन के मौला हैं और अगर आपने यह न किया तो गोया कारे रिसालत सर अन्जाम भी न दिया। (जलालुद्दीन अल सुयूती दुरअल मन्सूर जि0 2 पे0 298)

यह भी वाज़ेए तौर पर इजाफ़ी अल्फ़ाज़ कुर्आन में शशामिल नहीं हैं बल्कि सहाबिए रसूल इब्ने मसूद इसको इस तरह से इसलिए करअत करते थे जिसे आयात में नुज़ूल की सबब वाज़ेए हो सकें।

सवाल: मगर उन रिवायत के बारे में क्या जो यह कहती है कि काफ़ी आयते कुआनी अब कुआन का हिस्सा नहीं है?

जवाब शिया किसी भी रावी, मुफ़स्सिर या मुसन्निफ़ को ग़लतियों से बालातर नहीं मानते और इसलिए किसी भी अहादीस के मजमूए को मुकम्मल तौर पर ग़लतियों से महफूज़ नहीं समझते वाहिद एक किताब है जो ग़लतियों से महफूज़ है और वह है कुआने करीम ऐसी अहादीस को उमूमन ज़ईफ़ समझा जाता है और यह फिर इनसे अहादीस का ज़िक्र लिया जाता है।

यहाँ एक दिलचस्प बात का ज़िक्र करना काबिले गौर है कि सहीह अल बुखारी और सहीह अल मुस्लिम में कई ऐसी रिवायते पाइ जाती हैं जिनके मुताबिक़ कई आयते कुरआनी मौजूदा कुरआन में से गायब हैं ।

(अल बुखारी अल सहीह, जि० ८ सफ़ा 208, मुस्लिम अल सईह जि० ३ पे० 13 से 17)

□ न सिर्फ़ यह बल्कि कई अहले सुन्नत रिवायतो में यह भी कहा गया है कि कुआन से दो सूरए गाएब है जिनमें से एक सूरए बरात न०—9 जितना बड़ा सूरहा है अल सहीह मुस्लिम किताब अल ज़कात जि० 2 सफ़ा 276)

□ कुछ अहले सुन्नत अहादीस तो यहां तक दावा करते हैं कि सूरए 33 अलअहज़ाब सूरए बक्रा, सूरा न० 2, जितना तवील था यानि उसके बराबर था। सूरए बक्रा कुआन का सबसे बड़ा सूरह है (अल बुखारी और अल मुस्लिम ने तो उन आयात की तफ़सीलात तक मौजूद है जो कि अब कुआने करीम में नहीं मिलती 1, अल बुखारी, अल सहीह, जि० ८ सफ़ा न० 208,) ।

इसके बाद भी खुशकिस्मी की बात यह है कि शियो ने कभी भी अहले सुन्नत बरादरान पर यह इल्ज़ाम नहीं लगाया कि कुआन न

मुकम्मल है (यानि उसमें तहरीफ़ है) बल्कि हमने हमेशा यही कहा है कि यह रिवायतें ज़ईफ़ है या गढ़ी हुई है।

नतीजा: “ हमारा अक्कीदा यह है कि जो कुर्आन अल्लाह तआला ने अपने पैग़म्बर मोहम्मदे मुस्तुफ़ा स०अ० पर नाज़िल किया वह बिल्कुल वही है जो आज दो जिल्दों के दरमियान लोगों के पास उनके हाथों में मौजूद है और इससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं है।

और जो यह कहता है कि हम कुर्आन को इससे ज़्यादा समझते हैं (मौजूदा कुर्आन से) वह झूठा (काज़िब है) 2

(अलसुद्दूक़ किताबुल इरतेक़ाद तेहरान 1370 ए०एच० सफ़ा 63)

अंग्रेज़ी तर्जुमा द शिया फ़ीड तर्जुमा ए०ए०ए० फायज़ी (कलकत्ता 1942) सफ़ा 85।

शिया खाक मिट्टी पर सजदा क्यों करते हैं?

“तो फिर अपने परवरदिगार की हम्दो सना करो और उनमें से हो जाओ जो साजिदीन में से हैं।” (सूरह15: अ0न098)

शिया मुसलमान मिट्टी के एक छोटे टुकड़े पर जिसे सिजदगाह कहते हैं जो आम तौर पर इराक में कर्बला की ज़मीन की मिट्टी से बनी होती है पर सजदा करने को तरज़ीह देते हैं।

शिया फ़िक़हे जाफ़ारिया के मुताबिक़ जो कि इस्लाम के पांच अहम फ़िक़री मकातिब में से एक है। सजदा पाक ज़मीन पर या ऐसी चीज़ पर होना चाहिए जो ज़मीन पर उगता हों, इस सूरत में कि वह खाया न गया हो और खराब न हो चुका हो और पहना न गया हों। इसमें ख़ाक, पत्थर, बालू, और घास शामिल है और वह चीज़ें जो कि मअदनी न हो। काग़ज़ पर सिजदा जाएज़ है क्योंकि ज़मीन के ऊपर उगने वाली चीज़ों से बनता है मगर कपड़े और क़लीन पर सजदा नहीं किया जा सकता है।

तमाम अहलेसुन्नत इस्लामी उलूमा के मोतबर उलेमा ज़मीन पर सजदा करने को लेकर एक राय रखते हैं और इसे जायज़ मानते हैं। साथ ही उन चीज़ों पर जो ज़मीन पर उगती हैं।

क्या पैग़म्बर स0अ0 और उनके सहाबा ने कभी यह अमल अन्जाम दिया था ?

ज़मीन पर सजदा करना बिलाशुब्हा पैग़म्बर और उनके सहाबा के अमल में शामिल था। अबू सईद अल ख़ुदरी से रिवायत है कि “मैंने अल्लाह के रसूल को पानी और मिट्टी पर सजदा करते देखा और उनकी पेशानी पर ख़ाक का निशान देखा।” 2

अल बुख़ारी सहीह, अंग्रेज़ी तर्जुमा, जि0 2, बाब 12 न0 798 जि0 3, बाब, 33, न0 244।

अनस बिन मलिक रिवायत करते हैं— “हम तेज़ धूप में रसूल अल्लाह के साथ नमाज़ अदा किया करते थे और अगर हममें से कोई ज़मीन पर अपनी पेशानी नहीं टिका पाता था (शदीद गर्मी की बिना पर) तो वह अपने (पैराहन) कपड़े को फैलाकर उस पर सजदा करता था।

अलबुख़ारी सहीह (अंग्रेज़ी तर्जुमा) जि0 2, बाब 22 न0 299

इस हदीस के मुताबिक सिर्फ़ ग़ैरमामूली हालात में ही पैग़म्बरे इस्लाम और उनके सहाबा कपड़े पर सजदा करते थे। पैग़म्बरे इस्लाम के पास एक कुमरा भी हुआ करता था जिस पर वह सजदा करने के लिए अपनी पेशानी रखते थे।

महमूना से रिवायत है कि अल्लाह ने नबी रसूल अल्लाह स०अ० कुमरा पर सजदा करते थे।

अलबुख़ारी सहीह अंग्रेज़ी तर्जुमा जि० 1 बाब 8 न० 378

अल सहवकनी के मुताबिक, एक मोतबर अहले सुन्नत आलिम— रसूलअल्लाह स०अ० की कुमरा पर सजदा करने की इस हदीस को रसूलअल्लाह के दस से ज़्यादा सहाबियों से रिवायत किया है और वह उन तमाम अहले सुन्नत के ज़राए जिनमें यह अहादीस नक़ल है उनका जिक्र करते हैं जिनमें सहीह मुस्लिम, सही अल तिरमिदी सुनन अबू दाऊद, सुनन अल नसाई और दूसरी बहुत शामिल हैं। 5

अल सहवकनी, नायल, अल अबतर, कुमरा पर सजदा, जि० 2 सफ़ा 128।

कुमरा क्या है

एक ऐसी छोटी सी चटाई जो महज़ चेहरे और हाथों के लिए मुनासिब हो (नमाज़ में सजदा करने के दौरान) 6 अल बुख़ारी सहीह, अंग्रेज़ी तर्जुमा जि० 1 बाब 8, न० 376 (मुर्तेराजिम ने जैसी तफ़सील पेश की)

एक दूसरे मशहूर अहले सुन्नत आलिम इब्ने अल असीर ने अपनी किताब जामें अल उसूल में लिखा है

कुमरा (वैसा) है जिस पर हमारे ज़माने के शिया सिजदा करते हैं। 7

इब्ने अल असीर, जामें अल उसूल, (मिस्र 1969) जि० 5 पे० 467 ।

“कुमरा खजूर के रेशो या दूसरी चीज़ से बनी एक छोटी सी चटाई है और यह वैसी है जिसे शिया सजदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।”

(तलहीस अल सिहाह पे० 81)

मगर ख़ाक़ ए कर्बला क्यों ?

ख़ाक़ ए कर्बला (ईराक़) की ख़ूबसूरत आम तौर पर सब पर ज़ाहिर थीं और यह रसूल अल्लाह और उनके बाद, दोनों ही अद्वार में एक ख़ास अहमियत रखती थी।

उम्मे सलमा स०अ० का बयान है कि— “मैंने हुसैन अ०स० को उनके नाना रसूल अल्लाह स०अ० की गोद में बैठे देखा जिनके हाथों में लाल रंग का मिट्टी का एक टुकड़ा था। पैगम्बर उस खाक को चूमते थे और रोते थे। मैंने पूछा कि वह मिट्टी कैसी थी? पैगम्बर ने जवाब दिया कि “जिबराईल ने मुझे ख़बर दी है कि मेरा बेटा, यह हुसैन ईराक में क़त्ल किया जायेगा। वह मेरे लिए कर्बला की ज़मीन से यह मिट्टी लाए है। मैं हुसैन पर आने वाली मुसीबतों को सोच कर रो रहा हूँ।” फिर पैगम्बर ने उस मिट्टी को उम्मे सलमा को दे कर कहा “जब तुम देखना यह मिट्टी खून में तब्दील हो जाये तो जान लेना मेरा हुसैन शहीद हो गया।”

उम्मे सलमा ने खाक को एक बोतल में रख लिया और उस पर रोज़ नज़र डालती रहीं यहां तक कि रोज़े आशूरा 10 मोहर्रम सन 61 हिजरी को देखा कि वह खाक खून में बदल गई थी। इससे आपको इमाम हुसैन अ०स० की शहादत की ख़बर मिली।

जंगे सिफ़ीन के बाद हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अ०स० कर्बला से होकर गुज़रे। उन्होंने एक मुठ्ठी खाक वहां पर से उठाई और दर्दनाक लहजे में फ़रमाया आह! इस मक़ाम पर लोग ज़िब्हा किए जायेंगे और बिना हिसाब किताब के बहिश्त में दाख़िल होंगे।

कर्बला की खाक पर सजदा करना क्यों वाजिब है?

ऐसा नहीं है। लेकिन शिया कर्बला की खाक पर सजदा करने को अहम जानते हैं क्योंकि इसको पैगम्बर ए इस्लाम ने और उनके अहलेबैत में से हुए आइम्माए मासूमीन अ०स० ने बहुत अज़ीम क़रार दिया है। इमाम हुसैन अ०स० की शहादत के बाद उनके फ़रज़न्द इमाम ज़ैनुल आबेदीन अ०स० ने कुछ खाक कर्बला उठाई। उसके पाक और मुतहर होने का एलान किया और उसे एक थैली में महफूज़ कर लिया। आइम्मा अ०स० इस खाक पर सजदा किया करते थे। इसकी तस्बीह बनाते थे और उस पर अल्लाह की हम्दो सना किया करते थे। 4

वह शियो को इस खाक पर सजदा करने को कहते थे मगर इस हिदायत के साथ कि इस पर सजदा वाजिब नहीं है बल्कि यह समझना चाहिए कि इससे सवाब में इज़ाफ़ा होता है। आइम्मा अ०स० इस बात पर बहुत ज़ोर दिया करते थे कि सजदा हमेशा पाक ओ पाकीज़ा मिट्टी पर ही होना चाहिए और बेहतर यह है कि अगर वह मिट्टी कर्बला की हो तो कई गुना दरजात का बायस है। 5

काफी वक्त तक शियो ने इस मिट्टी को अपने पास रखा मगर बाद में इसके नजिस हो जाने के खौफ से उन्होंने इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में गूँध लिया। जिसे आज मोहर या सिजदागाह कहते हैं। नमाज़ के दौरान हम (शिया) इस पर किसी वाजिब अमल की बिना पर सजदा नहीं करते बल्कि इस खाक की जो खास अज़मत है और इसको जो बलन्द दरजात हासिल है उनकी बिना पर। वरना जब हमारे पास पाक मिट्टी नहीं होती (सजदागाह) तो हम साफ़-सुथरी ज़मीन पर सजदा करते हैं या फिर ऐसी किसी चीज़ पर जो ज़मीन से उगती है।

यह अफ़सोस का मक़ाम है कि कुछ लोग बर बिनाए हसद, कीना या फिर बुरी नीयत के चलते इस बात पर ज़ोर देते हैं कि शिया पत्थरो कि या फिर इमाम हुसैन अ0स0 की इबादत करते हैं। सच यह है कि सिजदागाह पर सजदा करके हम ख़ालिस तौर पर महज़ अल्लाह की इबादत करते हैं ना कि सिजदागाह की। और हम क़तअन इमाम हुसैन अ0स0 इमाम अली अ0स0 या फिर पैग़म्बरे मोहम्मद स0अ0 की इबादत नहीं करते हैं। हम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करते हैं और पाक ज़मीन या मिट्टी पर सजदा करना अल्लाह के हुक्म के बिल्कुल ऐन सही है।

नतीजा

यही वजह है कि जो शिया हज़रात अपने साथ छोटी सिजदागाह रखते हैं जो आम तौर पर कर्बला की ताहिर खाक की बनी होती है इस पर ही सजदा करके सुन्नते पैग़म्बर पर अमल करते हैं जिसकी पैग़म्बर ने भी बहुत ताकीद की है।

हवाला

1 तलबीस अल सिहाह पे0 81

2 अल हाकिम, अल मुस्तदरक़ जि0 4 पे0 398, अलज़हबी, सियारा आलम अल नुबाला जि0 3 पे0 194, इब्ने क़सीर, अल बिदायाह वल निहाराह जिल्द 6, पे0 230 अल सुयूती, ख़साईस अल कुबरा, जिल्द 2 पे0 450, ज़ाम-ए- अल जवामी इब्ने हज़र अल असक़लानी तहज़ीब अल तहज़ीब जिल्द 2 पे0 346।

3 इब्ने हज़र अल असक़लानी, तहज़ीब अल तहज़ीब जिल्द 2 पे0 348

4. इब्ने शरह आशुब, अल मनाकिब, जिल्द 2 पे0 25।

5. अल सदूक, मन ला यहज़रूल फ़कीह जिल्द 1 पे0 174, अल तूसी, मिस्बाहुल मुताहज्जिद पेज0 511।

शिया बा जमात तराबी क्यों नहीं पढ़ते ?

“(ऐ रसूल) और रात के ख़ास हिस्से में नमाज़े तहज्जूद पढ़ा करो। उससे बढ़ कर जो आप पर फर्ज़ है। क़रीब है कि क़यामत के दिन खुदा तुमको मक़ाम ए महमूद तक पहुँचा दे। (अल कुरआन 17 अ079)

रसूलल्लाह स0अ0 ने माहे रमज़ान के सिलसिले में फरमाया, “जिसने माहे रमज़ान की रातों में क़याम , अल लैल किया, खुलूसे दिल और अल्लाह तआला से सवाब पाने की ख़ातिर, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिये जाएंगे।’ ‘2 (सहीह अल बुख़ारी जल्द 3 किताब 33 न0 226)

आम तौर पर अहले सुन्नत हज़रात रात की ख़ास नमाज़े तराबी को रमज़ान के महीने में जमाअत के साथ अदा करने को सुन्नत ख़्याल करते हैं और मानते हैं । वहीं शिया हज़रात को इस तरह के नवाफिल की तरगीब है लेकिन उनको बाजमाअत पढ़ने का हुक्म नहीं है । शियों का ये अमल रसूलल्लाह के अहकाम और आप की सुन्नत के ऐन मुताबिक़ है ।

हमारे अहले सुन्नत भाई और बहने माहे रमज़ान में बाद नमाज़े ईशा बाजमाअत नमाज़े तराबीह पढ़ते हैं । वो नमाज़ में खड़े होकर कुरआन की तिलावत करते हैं । अल्लाह उनके पुरखुलूस अमल का सवाब अता फरमाए । हालांकि कुरआने मजीद ने और ना ही रसूले करीम ने रमज़ान की रातों की इस इबादत को बा जमाअत पढ़ने का हुक्म दिया और ना ही ज़िक़ किया ।

यह मुसलमानों ने बाद में खुद एख़्तियार किया। तराबीह लफज़ लफ़जे तरबीहा की जमा है जिसका मतलब है हर चार रकअत नमाज़ के दरमियान एक छोटा सा आराम का वक्फ़ करना। बाद में रमज़ान की इन बाजमाअत नमाज़ो को तराबीह कहा जाने लगा ।

तराबीह की बाजमात नमाज़ की इब्तेदा .

ये एक साबित करदा सच्चाई है कि नमाजे तराबीह का रमज़ान की रातों में बाजमात शुरू कराए जाने का सेहरा खलीफा ए दोअम उमर बिन अल खत्ताब के सर जाता है .

अबू हुरैरा से रिवायत है कि “रसूलल्लाह ने फरमाया कि जो कोई भी खालिस नियत और सवाब हांसिल करने के लिये रमज़ान के पूरे महीने में शब में इबादत करेगा तो इसके पिछले सब गुनाह बख्श दिये जाएंगे। ” इब्ने शहाब(इस हदीस के रावी)कहते हैं कि “जब अल्लाह के रसूल का इन्तक़ाल हुआ तो लोग इस नाफिल नमाज़ को फुरादा पढ़ते रहे। जमाअत के तौर साथ नहीं। और ये खलीफ़ए अब्बल अबूबक और हज़रत उमर की खिलाफत के शुरूआती दिनों तक ऐसे ही रहा ।

अब्दुल रहमान बिन अब्दुल क़ारी कहते हैं ,” मैं हज़रत उमर बिन अलखत्ताब के साथ रमज़ान की एक रात मस्जिद गया और देखा कि लोग मुख़तलिफ़ गिरोहो में नमाज़ पढ़ रहे हैं ।

कुछ तन्हा पढ़ रहे हैं और चन्द लोग छोटी छोटी जमाअतों में। हज़रत उमर ने कहा “मेरे ख्याल में इन लोगों को एक साथ जमा करके एक क़ारी के पीछे खड़ा कर देना ज्यादा बेहतर है (यानी ये बाजमाअत नमाज़ पढ़ें) लेहाज़ा उन्होने इन अफराद को उबै बिन काब की इमामत में बाजमाअत नमाज़ अदा करने का इरादा कर लिया । एक रात फिर उनके साथ मस्जिद में गया तो देखा कि लोग एक इमाम के पीछे यू हीं नमाज़ पढ़ रहे हैं। इस पर उमर ने फरमाया ,”ये एक बिदअते हुसना है” (मज़हब में एक नई तबदीली)लेकिन वो नमाज़ जो ये नहीं पढ़ते और इस वक्त सोए रहते हैं वो उस नमाज़ से बेहतर है जो ये अदा कर रहे हैं । उनका मतलब नमाज़े तहज्जुद से था जो रात के आखरी हिस्से में पढ़ी जाती है । 3

(सहीह अल बुखारी जिल्द 3 किताब 32 न0 227)

.इसको बिदअत इस बिना पर कहा गया क्योंकि रसूलल्लाह इस तरह की नवाफिल बाजमात नही पढते थे और ना ही ये पहले खलीफा अल सिददीक के दौर में ऐसे पढी जाती थी। ना ही रात के इब्तेदाई वक्त में और ना इतनी रकअतों में। 4

(अलकस्तलानी इरशाद अल सरी शरह सहीह अल बुखारी जिल्द 5 सफा 4 अलनबवी शरह सहीह मुस्लिम वालयूम 6 पेज 287

हज़रत उमर माहे रमज़ान की रात की नमाज़ों (तराबीह)की शुरूआत करने वाले पहले शख्स थे । इसके लिये उन्होंने लोगों को इकठ्ठा किया और मुखतलिफ मकामात पर हुक्म जारी किये । ये रमज़ान के महीने की 14 हिजरी की बात है ।

और उन्होंने तराबीह में मर्दों और औरतों के लिये क़ारी ए कुरआन मुर्क़र किये । 1

1 इब्ने सआद किताब अल तबाक़त जिल्द 3 पेज 281

अलसूयूती ,तरीख अल खुलफा पेज , 137 अल आयनी ,उमदतुलक़ारी फी शराह, सहीह अल बुखारी जिल्द 6 पेज 125

नमाज़े नाफिला मस्जिद में बाजमात या घरों में फ़ुरादा ?

रसूलल्लाह ने ताकीद की थी और फरमाया था कि नाफिल नमाज़ों को अपने अपने घरों में पढना इस बात की बनिस्बत बेहतर है कि मस्जिद में अदा की जाए क्योंकि यह घर और घर वालों दोनों ही के लिये बायसे सवाब और बरकत का सबब बनती है ।

और बच्चों की इस्लामी तरबियत और तरगीब में काफी मददगार साबित होती है ।

रसूलल्लाह ने फरमाया, “ऐ लोगो अपनी नमाज़े और इबादतें अपने घरों में अदा किया करो क्योंकि बेहतरीन इबादत वो है जो इन्सान अपने घर में बजा लाए सिवाए वाजिब (बाजमात)नमाज़ों के (2)

सहीह अल बुखारी जि० ९, कि० ९२ न० ३९३, अलनसाई सुनन जि० ३ पे ० १६१ ,१९८.

एक मर्तबा अब्दुल्लाह बिन मसूद ने रसूलल्लाह से दरयाफ्त किया कि “बेहतर क्या है? मेरा अपने घर में इबादत करना य मस्जिद में ? रसूलल्लाह ने जवाब दिया “क्या तुम नहीं देखते कि मेरे घर से मस्जिद कितनी करीब है? लेकिन फिर भी अपने घर में इबादत करना मुझे ज्यादा पसन्द है बनिस्बत मस्जिद के, सिवाए फर्ज नमाज़ों के” (३) (इब्ने माजाह, सुनन जिल्द १ पे० ४३९ न० १३७८)

जैद बिन साबित रिवायत करते हैं, “अल्लाह के रसूल ने खजूर के पत्तों से एक छोटा सा कमरा बनाया। वह अपने घर से निकले और उसमें इबादत की। कुछ लोग आए और आपके पीछे खड़े हो गए। दूसरी रात फिर लोग नमाज़ में शरीक होने के लिये आए। लेकिन आप ने ताखीर की और नहीं आए तो लोगों ने बलंद आवाज़ लगाना शुरू कर दी। और दरवाज़े पर छोटी छोटी कंकरीया फेंकने लगे। आप स०अ० गुस्से की हालत में बाहर तशरीफ लायें और उन लोगों से तम्बीह की, “तुम लोग अपने इसी नाफिल पर इसरार कर रहें हो। मुझे डर है कि कहीं ये तुम लोगों पर फर्ज न हो जाये। इसलिये तुम लोग ये नमाज़ अपने अपने घरों में अदा किया करो। इस लिये कि इन्सान की बेहतरीन नमाज़ वह है जो वह घर में बजा लाता है सिवाये फर्ज बाजमाअत नमाज़ों के। (४)

सहीह अल बुखारी, जिल्द ८, बुक ७३, नं० १३४

क्या शिआ आइम्मा अ०स० ने कभी तरावीह पढ़ी?

हज़रत ईमाम मोहम्मद बाक़र अ०स० और ईमाम जाफरे सादिक अ०स० से दरियाफ्त किया गया कि क्या नवाफिल नमाज़ों को जमाअत के साथ रमजान की रातों में अदा किया जा सकता है? दोनों ही ईमामों ने पैगम्बर की एक हदीस इरशाद फरमाई जिसमें आप ने कहा है कि—“बेशक नवाफिल की नमाज़ें माहे रमजान की रातों में जमाअत के साथ पढ़ना बदअत है। ऐ लोगो! मैं रमजान की नाफिला नमाज़ें जमाअत के साथ नहीं

पढ़ता। बिलाशुब्हा ऐसी छोटी इबादत का करना जो कि सुन्नत के मुताबिक है ऐसी बड़ी इबादत से बेहतर है जो बिदअती है यानी सुन्नत के खिलाफ है। (5)

(अल हुरा अल आमिली, वसायलुशिशया जि0 8, सफा 45)

आइम्माये अहलेबैत का तरावीज के मुतालिख इस नज़रिये कि अहले सुन्नत के एक मोतबर आलिम ने तसदीक की है।

- आले रसूल स0अ0 के मुताबिक तरावीह एक बिदअत है।

(अल सबकनी नैएल अलवतार, जिल्द 3, सफा 50)

सुन्नी ओलमा का तरावीह का घरों में पढ़ने के बारे में बयान

ओलमा इसकी अच्छाईयों पर तो एक राय (मुत्तफिक) हैं। मगर इसपर उनमें इखतिलाफ है आया कि इसे घर पर इनफिरादी तौर पर पढ़ा जाये या फिर मस्जिद में बाजमाअत।

अल नबवी (जिन्होंने सहीह मुस्लिम की शराह लिखी है) ने फिर उन ओलमा की एक फेहरिस्त तरतीब दी है जो कि इस दूसरे और ग़ालिब नज़रिये की हिमायत करते हैं। फिर वो लिखते हैं "मालिक अबु यूसुफ, कुछ शाफई ओलमा और दीगर दूसरे ओलमा कहते हैं कि इसे घरों में इनफिरादी तौर पर पढ़ा जायें। (1)

अल नबवी, शराह सहीह मुस्लिम, जि06, पेज 286

नतीजा

शिआ हज़रात रात में पढ़ी जाने वाली नमाज जिसे ताहज्जुद या कयाम अल लैल या सलातुल लैल कहते हैं रोजाना रात के आखरी हिस्से में, खास तौर पर माहे रमज़ान में पढ़ते हैं। उनको माहे रमज़ान में तहज्जुद के अलावा भी नाफिल नमाज़े अदा करने की रग़बत दिलायी जाती है। हालाकिं वह इन (मुस्तहबी) नमाज़ों को ज़्यादा तर अपने घरों में अदा

करते है न कि जमाअत में। ऐसा कर के वह कुरआने करीम और सुन्नते
रसूल स०अ० दोनो की पैरवी और इत्तेबा करते हैं।

शिया नमाजों को मिला कर अदा क्यों करते हैं ?

“नमाज़ बरपा करो ज़वाले आफ़ताब से रात ढलने तक और सुबह को पढ़िये । यकीनन सुबह का पढ़ना वह मौक़ा है कि जब मुशाहेदा करने वालों की हुजूरी होती है ।” (अल कुरान—17, 78)

शिया पाँच वाजिब नमाज़ों को मानते हैं। बाहर हाल अक्सर वह अपनी ज़ोहर और अस्त्र की नमाज़ों को ज़ोहर का वक़्त शुरू होने से और नमाज़े अस्त्र का वक़्त ख़त्म होने के दरमियान मिला कर अदा करते हैं। वह मग़रिब और ईशा की नमाज़ों को भी इसी तरह मिला कर पढ़ें जाने को सही मानते हैं। उनका यह अमल पूरी तरह से कुरान और मोहतबर अहादीस—ए—पैग़म्बर (स.अ.व.) के मुताबिक़ है।

सुन्नी फ़िक्ही मकातिब सिवाए हनफी के बारिश, सफ़र, ख़ौफ़ या किसी और मुसीबत के वक़्त वाजिब नमाज़ों को मिला कर पढ़ने की इजाज़त देता है (अल—जाम बैयन अल सलातैन)। हनफी फिरका रोज़ाना की नमाज़ों को मिला कर पढ़ने से रोकता है सिवाए हज के दौरान अल—मुज़दालिफ़ा (नाम की जगह पर) के। मालिकी, शाफ़ई और हम्बली तमाम फ़िक्ही मकातिब सबके सब सफ़र के दौरान नमाज़ों को मिलकर पढ़ने की बात पर मुत्तफ़िक़ है लेकिन दूसरी सूरतों में उनमें एख़तेलाफ़ है। शिया जाफ़री मकातिब—ए—फ़िक्ह के मुताबिक़ अपनी नमाज़ों को बिना किसी वजूहात के मिलाकर अदा किया जा सकता है।

कुरान के मुताबिक़ औकाते नमाज़

मशहूर अहले सुन्नत मुबसिरे कुरान फ़करूद्दीन अल राज़ी ने सूरः 17 आयत—18 के सिलसिले में लिखा है

- अगर हम तारीकी (ग़सक़) को उस वक़्त से कि जबके अंधेरा छाना शुरू होता है मानें तो ग़सक़ से मुराद वक़ते मग़रिब की इब्तेदा है। इस बुनियाद पर इस आयत में तीन औकात का ज़िक़ है :—“दोपहर का वक़्त, मग़रिब की इब्तेदा का वक़्त और वक़ते फ़ज्र”। इससे मतलब यह हुआ कि दोपहर वक़ते ज़ोहर और अस्त्र है, और इस वक़्त को दो नमाज़ों के दरमियान तक्सीम किया जाता है। मग़रिब के शुरू होने का वक़्त मग़रिब और इशा के लिये है लिहाज़ा यह वक़्त भी इन दो नमाज़ों के लिये मोइयन है। इस लिहाज़ से यह इजाज़त मिलती है कि ज़ोहर और अस्त्र और मग़रिब और इशा के दरमियान हमेशा नमाज़ों को मिलाकर अदा कर सकते हैं। हालांकि इस बात का सुबूत मौजूद है कि बिना किसी उज़्र के घर पर नमाज़ों को मिला कर पढ़ने की इजाज़त नहीं है। यह उस नज़रिये की तरफ़

हमें लेकर जाता है कि सफर या बारिश के वक़्त नमाज़ों को मिलाकर पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिये। (2)

फकरुद्दीन अल राज़ी, अल तफसीर अल कबीर, जिल्द 5, पेज 42

आगे जल्दी ही हम ऐसे नाक़ाबिले इंकार पुख़्ता सुबूत पेश करेंगे कि बिना किसी भी उज़्र (वजह) के नमाज़ों को मिलाकर अदा करना कतई सही है। बाहरहाल यह वाज़ेह है कि वाजिब नमाज़ों औकात सिर्फ़ तीन हैं— (1) दो वाजिब नमाज़ों का वक़्त, ज़ोहर (दोपहर) और अस्त्र (बाद दोपहर), जोकि इन दोनों के लिये तक़सीम है। (2) मग़रिब (शाम) और इशा (रात) की वाजिब नमाज़ों का वक़्त और यह भी इन दो के दरमियान बटा हुआ है। (3) सुबह की नमाज़ का वक़्त जोकि उसके लिये मोइयन है।

क्या रसूल अल्लाह (स.अ.व.) ने मिला कर नमाज़ों को अदा किया था ?

- इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (खुदा उन पर रहमत नाज़िल करे) ने मदीने में ज़ोहर और अस्त्र की (आठ रकअतें) और मग़रिब और इशा की (सात रकअतें) मिलाकर अदा की। —: (3)
- सहीह अल बुख़ारी (अंग्रेज़ी तर्जुमा) जिल्द 1, बाब 10, नं० 537, सहीह मुस्लिम (अंग्रेज़ी तर्जुमा) किताब अल-सलात, बाब 4, चैप्टर 100, नमाज़ों को मिलाकर पढ़ना जब इन्सान क़याम करे, हदीस नं० 1522
- अब्दुल्लाह बिन शफ़ीक़ रिवायत करते हैं — एक दिन इब्ने अब्बास ने हमसे (बाद नमाज़े अस्त्र) ख़िताब किया यहाँ तक कि सूरज गुरुब हो गया और सितारे नुमाया हो गये और लोग पुकारने लगे : अस्सलात-अस्सलता ! बनी तमीम से एक शख्स आया उसने न तोमगर अस्सलात की सदा बलन्द करता रहा। इब्ने अब्बास ने कहा “तू अपनी माँ के ग़म में रोये क्या तु मुझे सुन्नत सिखा रहा है ?” और फिर उन्होंने ने आगे कहा “मैने अल्लाह के रसूल को ज़ोहर अस्त्र और मग़रिब इशा की नमाज़ों को मिलाकर एक साथ अदा करते देखा है।” अब्दुल्लाह इब्ने शफ़ीक़ ने कहा — “मेरे ज़ेहन में इसको लेकर कुछ शक आया लेहाज़ा मै अबु हुरैरा के पास गया और जब उनसे इस बारे में दरयाफ्त किया तो उन्होंने इस बात की तस्दीक़ की। (1)

सही मुस्लिम (अंग्रेज़ी तर्जुमा) किताब अल-सलात बुक 4, चैप्टर 100, नमाज़ों को मिला कर पढ़ना हालते क़याम में हदीस 1523-24.

मगर क्या यह सफर ख़ौफ़ और बारिश की बिना पर नहीं था ?

पैगम्बर (स.अ.व.) की मुखतलिफ अहादीस के मुताबिक यह साफ तौर पर मालूम होता है कि वह बिना किसी खास वजह के नमाज़ों को मिलाकर अदा किया करते थे।

- पैगम्बर ने मदीने में कयाम के दौरान न की सफर करते में (मगरिब और इशा की साथ रकअत मिला कर और ज़ोहर और अस्र की आठ रकअत मिला कर अदा की। (2) अहमद बिन हम्बल, अल मुसनद जिल्द-1, सफा 221
- पैगम्बर ने ज़ोहर और अस्र की एक साथ और मगरिब और इशा की एक साथ मिला कर नमाज़ अदा की वह भी बिना किसी ख़ौफ़ या सफर की बुनियाद पर। (3) मालिक इब्ने अनस, अल-मुबत्ताह, जिल्द एक सफा 161,

बेशक कुछ रिवायतों में हमें पैगम्बरे इस्लाम के इस अमल के पीछे छिपी हुई हिकमत के बारे में बताया गया है। ऐसा वह उम्मत की सहूलियत के पेशेनज़र किया करते थे।

इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने ज़ोहर की नमाज़ को अस्र की नमाज़ के साथ और मगरिब की नमाज़ इशा के साथ मिलाकर मदीने में अदा किया बिना किसी ख़ौफ़-ओ-ख़तर या बारिश की बिना पर। और वाक़ी की हदीस की बिना पर (अलफाज़ यह हैं) : मैंने इब्ने अब्बास से कहा : इन्होंने (रसूल अल्लाह) ने ऐसा किसी बिना पर किया ?” इब्ने अब्बास ने कहा— ताकी उम्मत पैगम्बर को बेवजह ज़ैहमत न उठानी पड़े”। (4) सही मुस्लिम (अंग्रेज़ी तर्जुमा) किताब अल-सलात बुक 4, चैप्टर 100, नमाज़ों को मिला कर पढ़ना हालते कयाम में हदीस 1520. सुनन अल तिरमदी जिल्द 1, पेज 26।

अगर इसकी इजाज़त है तो भी ऐसा क्यों करें ?

यह मशविरा कोई नहीं दे रहा है/देता है कि नमाज़ों को अलग-अलग अदा करने में कोई बुराई है। ज़ोहर अस्र और मगरिब इशा की नमाज़ों को मिलाकर या अलग-अलग पढ़ा जा सकता है। हालांकि रसूल अल्लाह (स.अ.व.) का यह दो नमाज़ों को मिलाकर अदा करना अल्लाह का उसकी उम्मत पर खास नुज़ूल-ए-रहमत और सहूलियत देना ज़ाहिर करता है। और इस बात के काफ़ी कुबूल वजूहात मौजूद हैं कि क्यों यह अमल शियों में रायज हो गया।

- अक्सर लोग अपने ज़ाती कामों, ज़िम्मेदारियों और मसायल में मसरूफ़ रहते हैं खासतौर पर उन मुल्कों जहाँका तालीमी या अमली निज़ाम ऐसा नहीं है जोकि मुसलमानों को उनकी रोजाना की नमाज़ों के हिसाब से सहूलियत फ़राहम करता हो। कुछ पेशे ऐसे हैं कि जिनमें काम करने के औकात तवील हैं और तसलसुल

से है बिना किसी वक़्फ़े। लेहाज़ा इस सहूलियत की बिना पर कि दूसरे वक़्त की नमाज़ क़जा न हो जाये शिया एक ही वक़्फ़े में दोनों नमाज़ों को बएकवक़्त ही अदा कर लेते हैं।

जहाँ पर लोग दूर दराज़ से दो में से कोई एक नमाज़ अदा करने के लिए जमा होते हैं तो क्यों कि उन्हें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है लेहाज़ा हव जमात में एक के बाद दूसरी नमाज़ अदा कर लेते हैं। इस तरह से उनकी वाजिबात भी पूरी हो जाती है और नमाज़े जमात में भी शामिल हो जाते हैं जो कि मज़ीद सवाब का वायस हो जाती है। नमाज़ जुमा की मिसाल मुलाहिज़ा फरमायें – हम देखते हैं कि हमारे हज़ारों अहले सुन्नत भाई नमाज़ें जुमा वक़्त पर अदा करते हैं लेकिन अस्र की नमाज़ अदा करने से कतई छूट जाते हैं, जमात की तो बात ही क्या ! दूसरी तरफ़ एक शिया मुसलमान जो नमाज़े जुमा पढ़ता है वह यकीनन नमाज़े अस्र भी बाजमात अदा करेगा।

- एक और वजह के जिसकी बिना पर शिया यह महसूस करते हैं कि इस सुन्नत को ज़िन्दा रखा जाये वह ये है कि हमारे अहले सुन्नत भाई इस सुन्नत को अंजाम नहीं देते हैं। हम अपने बच्चों, दूसरे मुसलमानों और आने वाली नस्लों को यह बताना चाहेंगे कि ज़ोहर अस्र और मग़रिब इशा की नमाज़ को मिलाकर पढ़ने का अमल पैगम्बरे इस्लाम रसूल अल्लाह (स.अ.व.) की ऐन सुन्नत के मुताबिक है और इसीक इजाज़त है।

नतीजा: ना सिर्फ़ उम्मत की सहूलियत के नज़रिये की बिना पर बल्कि कुरआन और सुन्नते रसूल (स.अ.व.) की इजाज़त की बुनियाद पर ज़ोहर अस्र और मग़रिब इशा की नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ने की इजाज़त है। अब ये बात की इस बिना पर कि क्योंकि इस बक़ायदा सुन्नत पर हमारे सुन्नी भाई अमल नहीं करते तो यह हमारी (शिया) ज़िन्दगीयों में भी अमल में न रहे, बेबुनियाद है। जैसा कि सही मुस्लिम के मारुफ़ अहले सुन्नत मुबस्सिर अल नदवी लिखते हैं :—

जब एक सुन्नत के मुस्तनद होने का यकीन हो तो उसे इस बिना पर नहीं छोड़ा जा सकता है कि बहुत से था या चंद लोग उसे तर्क करते हैं।

अल नबवी, शरह सहीह मुस्लिम, (बिरुत1392) जिल्द 8, सफ़ा 56

नुक्तो से बरी एक खुत्बा

रसूलल्लाह ने इरशाद फ़रमाया, " मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाज़ाहैं" 1

सहीह अल तिरमिदी (मिस्र एडिशन) किताब अल मनाकिब जिल्द 5 सफ़ा 637, हदीस नं० 3723।

हज़रत अली इब्ने अबी तालिब अ०स० का वसी इल्म, दानिश, हिकमत , फ़साहत और बलागत मुसलमानों के तमाम मकातिब ए फ़िक् में मशहूर व मारुफ़ है। ऐसी ही आपके तमाम उलूम पर कमाल की एक मिसाल यह फी अलबद एक खुतबा है जो (अरबी रस्मुल ख़त में) अपनी तहरीरी सूरत में किसी भी नुक्ते से मुकम्मल तौर पर आरी है।

الخطبة العارية عن النقطة لامام علي(عليه السلام)

الحمد لله البلك المحمود والبالك الودود مصور كل مولود مال كل
مطرو ساطح البهاد وموطه الاوطاد ومرسل الا مطار ومسهل الاوطار
عالم الا سرار ومدد ركها ومدمر الا ملاك ومهلكها ومكور الدهور
ومكررها وموره الا مور ومصدرها عم سماحه وكبل ركامه وهبل
وطاوع السؤال والا مل اوسع الرمل وارمل احمده حمدا ممدودا واو
حده كبا وحد الاواه وهو الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله

وسواء ارسل محمدا علما للاسلام واماما للحكام ومسددا للرعا
ومعطل احكام ودوسواع اعلم وعلم وحكم واحكم اصل الاصول
ومهد واكد الموعد واوعد اوصل الله له الا كرام واودع روحه
السلام ورحم آله واهله الكرام مالع رائل وملع دال وطلع هلال وسمع
اهلال.

اعملوا رعاكم الله اصلح الاعمال واسلكوا مسالك الحلال واطرحوا
الحرج م ودعوة واسمعوا امر الله وعوة وصلوا الارحام وراعوها
وعاصوا الاهواء وارادعوها وصاهاروا اهل الصلاح والورع وصارموا
رھط اللهو والطبع ومصاھرکم اطهر الاھرار مولدا واسراھم سوددا
واحلاھم موردا وھاھوامکم وحل حرکم ملکا عروسکم البکرمة
وماھرلھا کھا مھر رسول الله ام سلیمه وھوا کرم صھر اودع الاولاد
وملک ما اراد وما سھا مملکھ ولا وھم ولا وکس ملاحمھ ولا وصم
اسال الله لکم احما د وصالھ ودوام اسعاده والھم کلا اصلح حالھ
والاعداد لبآلھ ومعاده وله الحمد السرمد والھدح لرسولھ احمد(ص).

तमाम तारीफ़ बस अल्लाह ही के लिए है जो मालिको महमूद, शफ़ीक परवरदिगार, हर पैदा होने वाले की सूरत को तख़लीक़ करने वाला, तमाम मज़लूमीन की पनाहगाह, ज़मीन को बिछाने वाला, मज़बूत पहाड़ो को ज़मीन पर जमा देने वाला, बारिशों को भेजने वाला, हाजात को बर लाने वाला, तमाम भेदो का जानने वाला, और इल्म रखने वाला, सलतनतो के ज़वाल और अमवाल को तबाह करने वाला, नये

अदवार को लाने वाला, और उनका पलटाने वाला, हर शय का मज़दर और मंज़िल है। उसका करम और फ़य्याज़ी हर तरफ़ हावी है और तह ब तह अबरे करम और उसकी तरफ़ से नुज़ूले बारां रहमत काफ़ी है। वह मांगने वालो और उम्मीददारों की सुनता है और कसरत से अता करता है।

मैं उसकी बेपनाह हम्द करता हूँ। मैं उसकी वहदानियत का इक़्रार करता हूँ जैसा कि उस यक़ता की तरफ़ रूज़ुअ होने वाले करते हैं। वह अल्लाह है जिसके सिवा इन्सानियत का कोई माबूद नहीं है। कोई तग़युर नहीं लाहक़ हो सकता उसको जिसको अल्लाह ने मज़बूती से का़एम किया हो। उसने मुहम्मद स०अ० को अलमबरदार ए इस्लाम, हुक्मरानो का इमाम और उनके जुल्म व जबर से रोकने वाला और बुद और सवा (दो बुतो) का तसल्लुत वा एख़्तियार मोअत्तल करने वाला बना कर भेजा। आपने इल्म को तरतीब दी और तकमील तक पहुंचाया। आपने उसूलो की बुनियाद डाली और उन्हें का़एम किया। आपने उस रोज़ (यानी क़यामत) के बारे में तंबीह की जिस का वादा किया गया है। अल्लाह ने इज़्ज़त व बलन्दी, अज़मत को आपसे मन्सूब कर दिया है और आपकी रूह को राहत बख़्शी है। अल्लाह का रहम होता रहें आपकी आल पर और आप अ०स० की सज़ावारे करीम आल पर, जब तक कि राह दिखाने वाले सितारों की चमक बाक़ी है जब तक कि चांद का तुलुअ होना बाक़ी है और जब तक कि लाइलाहा इल्ललाह की सदाए कलमाए वहदानियत की गूँज बाक़ी है।

अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ़ज़ व अमान में रखे। नेक कामो की अन्जाम देही में कोशिश करो। हलाल की तरफ़ जाने वाली राह से मुन्सलिक रहो और नाजाएज़ व हराम से दूर रहो। अल्लाह के हुक्म की तरफ़ मुतावज्जेह रहो। रिश्तेदारो के साथ ताअल्लुकात बनाये रखो और उन्हें परवान चढ़ाओ। ख़्वाहिशात ए नफ़सानी की पैरवी न करो और उनसे इजतेनाब करो। नेक और सालेह लोगों की सोहबत एख़्तियार करो और लहो व लअब की महफ़िलो से दूरी बनाए रखो।

तुम्हारा दुल्हा आज़ाद बन्दो में हस्ब व नस्ब के एतेबार से बेहतरीन, सख़ी व ग़नी, शरीफ़ और बाईज़्ज़त और आला शजरे वाला है। उसने तुम्हारी तरफ़ पेशकदमी की और तुम्हारे वाली की इजाज़त से तुम जैसी नेक हैसियत जौजा को अपनाया। और जैसे रसूल अल्लाह स०अ० ने उम्मे सलमा को मेहर अदा किया था उसी तरह मेहर अदा किया। यकीनन आप नेकतरीन और सबसे शानदार दामाद थे। अपनी आल के लिए शफ़क़त रखने वालों में से थे और उनका अक्द अपनी पसन्द के मुताबिक़ तय किया। अपनी जौजा को पसन्द करने के मामले में न तो आप किसी उलझन का शिकार हुए और न ही किसी वहम का।

मैं तुम्हारे वास्ते से अल्लाह से अर्ज करता हूँ कि उससे वाबस्ता रहने की दाएमी सआदत अता हो और उसकी नेमतों का मुस्तक़िल नुज़ूल जारी रहें और हम सबको अपने रहमों करम की बदौलत तौफ़ीक़ दे कि हम अपने हालात की इस्लाह करें और आख़िरत में अपने अंजाम की तरफ़ होशियार और तैयार रहें। तमाम हम्द व शुक्र सिर्फ़ अल्लाह के लिए है और तारीफ़ उसके रसूल अहमद स०अ० के लिए।

ऐसा अन्दाज़ा होता है कि यह खुत्बा इमाम अली अ०स० ने किसी के निकाह के मौक़े पर बयान फ़रमाया और मुमकिन है कि यह आप के अपने निकाह की तक़रीब हुआ हो।

1. मोहम्मद रिदा अल हाकिमी—सलूनी, क़ब्ल अन तक़फ़ीदुनी। जि०२ स०४४२,४४३

2. सय्यद अलमूसवी , अल कतराह मिन बेहार मनाकिब आले नबवी अल इतरत। जि०२ स०१७९

3. हसन अल जुलाफ़ी, फ़ज़ाएले — आल — अल रसूल। स०६

इस खुत्बे में ऐसी क्या खुसूसियात हैं?

जो लोग अरबी ज़बान जानते हैं या कम अज़ कम कुरआनी तहरीर को पढ़ सकते हैं वह इस बात की ताईद करेंगे कि अरबी हुरूफ़ के बाज़ हुरूफ़ अपने मुतालेक़ा नुक़आत पर मुश्तमिल होते हैं। यह हुरूफ़ अरबी की तहरीरी व तक़रीरी बयान में हमेशा इस्तेमाल होते हैं और यह दरजे ज़ेल हैं।

इन हुरूफ़ का इस्तेमाल किये बिना एक बामअनी तहरीरी दस्तावेज़ तख़लीक़ करना एक निहायत ही मोहाल अमल है। इसी तरह इमाम अली अ०स० का बिना पहले से की गई तैयारी (फी अलबद) खुत्बा बयान करना जैसा कि आप किया करते थे यकीनन एक हैरतअंगेज़ कारनामा है

क्या ऐसे और भी खुत्बात मौजूद है।

एक बार हज़रत अली अ०स० ने एक ऐसा हसीन खुत्बा बयान किया जो कि हरफ़ आलिफ़ के बग़ैर था। अरबी हुरूफ़े यहबी का यह हरफ़ बिला शक़ व शुब्हा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला हरफ़ है।

बिना नुक़्ते के चन्द बामफ़हूम अलफ़ाज़ तहरीर करना बहुत मुश्किल काम होता है तो ज़रा सोचिए एक ऐसा खुत्बा बयान करना जो इल्म ओ दानिश से लबरेज़ हो और जो इस खुत्बे से कई गुना तवील हो और जिसमें हरफ़ आलिफ़ एक बार भी न आता हो। इस खुत्बे को आमतौर पर अल खुत्बा अल मुनीकाह के नाम से जाना जाता है और बहुत से सुन्नी ओलमा ने इसे रिवायत किया है। उनमें से चन्द ओलमाए अहले सुन्नत में से यह हैं।

मोहम्मद बिन मुस्लिम अल शाफ़ाई, किफ़ायत अल किताब सफ़ा 148

इब्ने अबी अल हदीस अल मुताज़िली, शराह नहजुल बलागा जिल्द 19, सफ़ा 140

हज़रत अली अ०स० ने यह कारनामा कैसे अन्जाम दिया।

हज़रत अली अ०स० के वसी इल्म, फ़साहत और बलाग़त के पीछे जो चीज़ें बहुत अहम थीं वह रसूल अल्लाह के साथ गहरी और तवील रिफ़ाक़त और उनकी सोहबत में उलूम हासिल करना। पैग़म्बरे इस्लाम जो कि आसमानी इल्म रखते थे हज़रत अली अ०स० के लिए ऐसे सभी उलूम और दानिश का सरचश्मा थे और उनके लिए अफ़ज़ल तरीन मोअल्लिम और मुदर्रिस थे।